[Shri Ghulam Rasool Matto]

I would request the hon. Minister that these should be extended till the end of November at least.

Thank you

SHRI DHARAM CHANDER PRASHANT (Jammu and Kashmir): I fully support Mr. Matto. It is easier to fly from Delhi to Srinagar than from Jammu to Srinagar.

MR. CHAIRMAN: Now we have two important Short Duration Discussions, on 'Sati' and Sri Lanka. In order to ensure a larger participation on the first discussion and to have timely start on Sri Lanka discussion, if the House agree, we may sit during the lunch period and conclude the first discussion as early as possible when the Minister will reply.

SHRI NIRMAL CHATTERJEE (West Bengal): How can the House refuse to cooperate with the new Chairman? (*Interruptions*)

Short-duration discussion on the incident of 'Sati' at Deorala in Rajasthan—Contd.

श्री वीरेन्द्र वर्मा (उत्तर प्रदेश) माननीय सभापति महोदय, चार दिसम्बर 1987 को ग्राम देवराला राजस्थान में सती की दुखद दुर्घटना ने भारत के जनमानस को झकझोर दिया है।

[उपसभापति महोदया पीठासीन हुईं]

माननीया, कल इस सम्मानित सदन के सभी माननीय सदस्यों ने, विशेषकर माननीया महिला सदस्यों ने जिनमें श्रीमती जयन्ती नटराजन, वीणा वर्मा, सूर्यकान्ता पाटिल, कनक मुखर्जी आदि ने एक दूसरे माननीय सदस्यों डा० रत्नाकर पाण्डेय आदि ने जो विचार व्यक्त किये हैं, मैं उनके साथ अपने को संम्बद्ध करता हू।

महोदया, हिन्दुस्तान की प्राचीन संस्कृति की देश में बडी चर्चा होती है लेकिन सभी का यह कलंक भारत के ऊपर मानवता के ऊपर और अगर हिन्दू धर्म के नाम पर है, तो हिन्दू धर्म के ऊपर है। यदि जाति विशेष में कोई इसमें गौरव करता हो तो उसके नाम पर है। मुझे दुख है कि सीकर जिले का प्रशासन और राजस्थान सरकार इस दुखद घटना को रोकने में असफल रही। मैं जिले के प्रशासन और राजस्थान सरकार की निष्क्रियता और असफलता की निन्दा करता हूं। उनको यह घटना रोकनी चाहिये थी और ऐसा नहीं होने देना चाहिये था। जो शक्ति और जो विचार और शब्द मेरे पास हैं, मैं इस घटना की हृदय से निन्दा करता हूं।

महोदया, कल डा० रत्नाकर पाण्डेय जी ने जिन शब्दों में जगन्नाथपुरी के शंकराचार्य जो हिन्दू धर्म के मान्य नेता हैं, उनके लिये जो विचार प्रकट किये हैं मैं उनसे अपने आप को सम्बद्ध करता हूं। ठाकुर जगतपाल सिंह जी ने कहा था कि अगर सारे माननीय सदस्य तैयार हों तो उनके ऊपर मुकदमा चलाया जाये, उन्हें जेल में भेजा जाये। सारे माननीय सदस्य इस पक्ष में है कि ऐसे शंकराचार्य हिन्दू धर्म के नाम पर कलंक है, उनके खिलाफ मुकदमा चलाया ही जाना चाहिये। मुझे नहीं मालूम कि जो कानून केन्द्रीय स्तर पर बनाये जाने की व्यवस्था सरकार के विचाराधीन है, उसमें क्या इस प्रकार के व्यक्तियों को भी कानून की जद में लाया जायेगा, जो इसका प्रचार करते है, यह मैं माननीय मंत्री जी से करना चाहता हूं। वैसे तो शंकराचार्य जी कलयुग के जमाने के हैं, कलयुगी शंकराचार्य है, पाखंडी मैं कह सकता हू, कोई शब्द मेरे पास नहीं है जो अच्छे नाम से मै उनको पुकारूं, उनके विचारों को देखते हुए।

मान्यवर, मनु जी ने या हमारे हिन्दू धर्म के किन्ही ऐसे विद्वानो ने, महर्षियों ने जिस प्रकार की व्यवस्थाये, अमानुषिक परम्परायें, रीति-रिवाज, महिलाओं के खिलाफ स्थापित किये है, मैं उनकी भी घोर निन्दा करता हूं,। मैंने अभी कहा था कि हिन्दुस्तान की प्राचीन सभ्यता और संस्कृति की प्रशंसा की जाती है। लेकिन

उस प्राचीन संस्कृति में महिलाओं के साथ जितना दुर्व्यवहार हमारे पूर्वजों ने व्यवस्थाये बनाकर, परम्पराये बनाकर किया है, उसकी कटु आलोचना की जानी चाहिये। उसकी कटु आलोचना देश के प्रत्येक नागरिक के जरिये की जानी चाहिये। महिला विधवा हो जाये, तो वह कलंकनी है और आदमी शादी करने को भी तैयार है। विधवा शादी भी नहीं कर सकती चाहे बीमार हो कर मरें या एक्सीडेंट में मरे विधवा कलंकनी अपने घर में बैठी रहेगी। इस प्रकार की जो परम्परायें है, दहेज की परम्परा, सती की परम्परा ये सब हिन्दुस्तान की प्राचीन संस्कृति पर, भारत पर महिला का नाम लेकर किया गया है, यह कलंक उन आदमियों के माथे पर है, जिन्होंने इस प्रकार की संस्कृति की रचना की। यह घृणित जुल्म महिलाओं के खिलाफ है। जिन शब्दों में इनकी निन्दा की जा सकती है मैं करता हूं। पता नहीं, माननीय सदस्य मुझ से सहमत है या नहीं लेकिन एक वद्धा विधवा श्रीमती शाह बानो ने जिले के कोर्ट में, हाई कोर्ट में और फिर उच्चतम न्यायालय से जाकर न्याय प्राप्त किया लेकिन उसे अनड्यू कर दिया गया। हिन्दू हो या मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो, किसी भी जाति की महिला हो उसके साथ घोर अन्याय जो इस हिन्दुस्तान के समाज ने किया है, इस समाज के पुरुष ने किया है उसकी मैं पुन बडे कठोर शब्दों मे निन्दा करता हूं।

राजस्थान में जो ऐसा जंचा, जब कालवी साहब की चर्चा हो रही थी कि वोटो की बात है, पालिटिक्स आ गई है। शाह बानो के केस में भी पालिटिक्स आ गयी थी। इस प्रकार के मामलों में महिलाओं के नाम पर पालिटिक्स नहीं आनी चाहिये चाहे राजस्थान का मामला हो या शाह बानों का मामला।

डा० एम० हाशिम किदवई (उत्तर प्रदेश) आपने तो उस वक्त साथ दिया था..(**व्यवधान**)।

श्री वीरेन्द्र वर्मा मैं उस वक्त भी विरोध मे था। पूरी पार्टी विरोध मे थी। वह रिकार्ड मे है। आप देख सकते है। (**व्यवधान**)

उपसभापति : आपस में बात मत करिये।

श्री वीरेन्द्र वर्मा : मै महिलाओं की बात कर रहा हू चाहे हिन्दू महिला हो, मुसलमान महिला हो, ईसाई महिला हो या सिख महिला हो। मै महिलाओं की चर्चा कर रहा हूं।

डा० एम० हाशिम किदवई आपने इस्लाम पर हमला किया। (**व्यवधान**)

श्री वीरेन्द्र वर्मा : मैने इस्लाम पर कोई हमला नही किया। महिलाओं के साथ हो रहे अन्याय का विरोध किया। चाहे कोई भी महिला हो उसका पक्ष लिया। (**व्यवधान**)। मै मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि किन्ही भी व्यवस्थाओं या परम्पराओं के कारण हमारे समाज की जो विधवा महिलायें है, वे अत्यन्त दुखी हैं। उनके साथ निर्दयता का व्यवहार हो रहा है। माननीय मंत्री जी को अवश्य गम्भीरता के साथ विचार करना चाहिये कि अगर निर्धन विधवाओं को किसी भी प्रकार की आर्थिक सहायता दी जा सके या दिलवाई जा सके तो राजस्थान सरकार से या दूसरी सरकारों से दिलवायी जाये। आखिर मे मैं पुन: जितने शब्द मेरे पास है जो शक्ति मेरे पास है, जो विचार मेरे पास हैं, उन्हीं मे महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचारों का घोर विरोध करता हूं चाहे किसी भी मजहब की महिला हो और चाहे कोई भी प्रथा हो, सती प्रथा हो या दूसरी उस का मैं हृदय से कंडम करता हू।

ठाकुर जगतपाल सिंह (मध्य प्रदेश) : आदरणीय उपसभापति महोदया, मै जिस विषय पर बोल रहा हूं उस पर मेरा

[ठाकुर जगतपाल सिंह]

दिल भरा हुआ है। आज भी हिन्दुस्तान में जो इस तरह की चीजे हो रही है उन्हें हमे सख्ती से रोकना पड़ेगा। मै इसके बारे मे दो-चार बातें कहना चाहता हूं।

महोदया, जहा तक धर्म का सवाल है धर्म सिखाता है कर्म और कर्म दो प्रकार के हुआ करते है। एक सुकर्म और दूसरा कुकर्म। धर्म चाहे कोई माने या न माने लेकिन वह सुकर्म सिखाता है। लेकिन बहुत से लोग कुकर्म करते है। तमाम धर्म सत्य, प्यार त्याग और सेवा सिखाते है। लेकिन उसके विपरीत सत्य की जगह झूठ भी है, प्यार की जगह नफरत भी है, त्याग की जगह लालच भी है और सेवा की जगह दुख देना भी है। ये जो दूसरी श्रेणी के कर्म है ये कुकर्म कहलाते है और पहली श्रेणी की कर्म सुकर्म कहलाते है जिनको हमारे धर्म मे, हमारे समाज मे अच्छा कहा जाता है। लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि आज भी हिन्दुस्तान मे कुछ धर्म के ठेकेदार जैसा कि पुरी के शकराचार्य का नाम लिया गया, मै ऐसे व्यक्तियो का नाम भी नही लेना चाहता हू, इतिहास मे इनका नाम मिटना चाहिए जो धर्म के नाम पर, राजनैतिक, सामजिक और आर्थिक शोषण करते है। लेकिन जब धर्म बन जाता है राजनैतिक, सामाजिक और आर्थिक शोषण का माध्यम तो वह धर्म नही रहता। इस तरह का धर्म देश को बुराइयो की तरफ ले जाता है और इसमे देश गिरता है। मुझे दुख होता है जब मैं देखता हूं कि धर्म के नाम पर देश के अन्दर इस तरह के कांड होते है। जाति, धर्म, प्रांत और रूढिवादी प्रथाओ को जिदा करके इन तरीको से इस देश को तोड़ने का षड़यत्र किया जा रहा है। मै सरकार से चाहता हू कि जो कुछ भी राजस्थान मे हुआ उसके बारे में एक उच्च स्तरीय इन्क्वायरी कराये, गहराई से कराये जिससे पता लग सके कि यह क्यो हुआ, कैसे हुआ? यह सामाजिक शोषण के कारण हुआ या आर्थिक शोषण के कारण हुआ या राजनैतिक शोषण के कारण हुआ और जो भी इसके लिए जिम्मेदार हो उनके साथ सख्ती से निपटा जाना चाहिए। मै बधाई देना चाहता हू अपनी सरकार को जिसने आजादी के बाद हिन्दुस्तान मे महिलाओं के लिए इतने कानून बनाये और महिलाओ को समाज मे बराबरी का स्थान दिलाने का प्रयास किया है। यह ठीक है कि अभी इसमे हमे पूरी सफलता नही मिली है और उनको अभी बराबरी पर नही ले पाये है लेकिन यह कहना कि महिलाओ के लिये कानून नही बने यह सर्वथा गलत है। हमारे समय मे उनके उत्थान के लिए बहुत से कानून बने है। एक बात याद रखिये कि सामाजिक क्रान्ति तब हुआ करती है जब लोगो के दिल और दिमाग बदलते हैं। सामाजिक क्रांति कानून से नहीं आती है। कानून बाउन्ड्री वाल होते है। जिस प्रकार एक खेत के अंदर दीवार होती है, बाउन्ड्री वाल होती है जो बताती है कि यह उपजाऊ जमीन है। इसी तरह से जो हमारे कानून है वे बाउन्ड्री वाल है और इसके लिए देश के दिल और दिमाग को बदला जाना आवश्यक है। मैं विरोधी पक्ष के माननीय सदस्यो को बधाई देना चाहता हू कि जो उन्होंने सामाजिक क्रान्ति के लिए, समाज में जो बुराइया है, समाज मे उनको दूर करने के लिए, उनको मिटाने के लिए आगे आकर एक साथ लडने का आह्वाहन किया है वायदा किया है। मै चाहता हूं कि सरकार इसके बारे मे एक मीटिंग बुलाये और उसमें सभी विरोधी पक्षो के नेताओ को आमत्रित करे और उसमे विचार-विमर्श करने के पश्चात् इस तरह के कानून बनाये जिससे महिलाओ का जो शोषण होता है, जो हमारी दूसरी सामाजिक कुरीतिया है वे मिट सके। इसके लिए सब मिलकर एक मास मूवमेट बनाये। अगर हम आदोलन खडा कर सकें तो इस ओर हमें सफलता मिल सकती है। इस समय माननीय सदस्य नही है उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश की बात कही। मै मानता हूं कि महर्षि दयानन्द ने रूढिगत जो बहुत सी बुराइया समाज मे थी उसके लिये उन्होंने बहुत काम किया जिनको गाधी जी ने भी अपनाया। चाहे वह छुआछूत के बारे मे हो, चाहे वह छोटे बच्चो की शादी

के बारे में हो। आपको याद होगा कि जब मौसम बदलता है तो कपड़े बदले जाते है। इसी तरह से जब हालत बदलती है तो प्रथायें बदला करती है। धर्म में तीन चीजें है। धर्म में कर्म है। धर्म सिखाता है कर्म। धर्म में है अध्यात्म की बात, और रहन-सहन, खानपान, रीति-रिवाज ये समयानुकूल होते है। जैसा मौसम बदलता है वैसी ही हम कपड़े बदलते हैं जब जागरफीकल कंडीशन बदलती है, एकानामिक कंडीशन बदलती है तो रहन-सहन और खान-पान भी बदलता है। आज खानपान, रहन-सहन, रीति रिवाज धर्म हो गया है लेकिन धर्म का जो कर्म है, सही कर्म है, सुकर्म है वह हमने छोड दिया है। धर्म के ठेकेदार आज हमारे देश मे धर्म के नाम पर नफरत फैलाना चाहते हैं। रूढ़ियो को जिन्दा कर के जाति, धर्म, प्रान्त, भाई मे भाई को लड़ा कर इस देश को विध्वंस करना चाहते है। मेरा यह चार्ज हैं मैं खुले आम कह सकता हूं कि दुनियां की वह शक्तियां जो इस मुल्क को बढते हुए देखना नही चाहता है वह आज हर फ्रंट पर यह कोशिश कर रही है अनजाने और जाने हमारे देश के लोग उसका शिकार बन रहे है ताकि देश के अन्दर रूढ़ीवाद पैदा हो। जैसे मेरे भाई ने अभी कहा इस्लाम के बारे में, हमे किसी धर्म पर हमला नहीं करना चाहिए, न हम किसी धर्म के खिलाफ है। सेकुलरिज्म के माने यह नही है कि हम किसी धर्म मे विश्वास नही करते है इसके माने यह है कि हर आदमी को अपने धर्म को मानने की पूरी इजाजत होगी। हिन्दुस्तान ही एक ऐसा मुल्क है मेरा दावा है और चनौती है यहां हिन्दु अपने मन्दिर में जा रहा है, मुसलमान अपनी मस्जिद में जा रहा हैं, सिख गुरुद्वारे में जा रहा हैं, इसाई अपने चर्च में जा रहा है इसलिए कोई नही कह सकता कि हमारी सरकार किसी धर्म को रोक रही है या हमला कर रही है लेकिन जो रूढीवादी चीजें हैं जो देश के लिए हानिकारक है जो देश की जनता को गिराने वाली चीजें हैं उन्हें हमें सख्ती से रोकना होगा। पुरी के शंकराचार्य ने जो बात कही हैं क्या यह सही था क्या उनको आप धार्मिक मानेंगे मैं पूंछना चाहता हूं? हिन्दु समाज के लोगों से हिन्दुस्तान की जनता से पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि वह इसका जवाब दें कि शंकराचार्य ने जो बात सती प्रथा पर कही है, यह कहा है कि सती प्रथा सही है क्या उन्होंने यह सही कहा है? वे धार्मिक गुरू है अगर हिन्दुस्तान के लोग हिन्दु समाज के लोग सही धर्म गुरुओं को मानना चाहते हैं ऐसे धर्म गुरुओं के खिलाफ वे आवाज उठायें जनता के अन्दर भावना पैदा करें यह ढोगी लोग हमें नही चाहियें। भारतवर्ष की संस्कृति महान संस्कृति रही हैं। महिलाओ की जो इज्जत हिन्दुस्तान में हुई वह दुनियां में कहीं नहीं हुई लेकिन एक युग ऐसा भी आया जहां पर मनु ने कुछ ऐसी परम्पराएं डाली जिसके कारण हमारी बहनों की स्थिति समाज में नीचे गिरती चली गई। आज वह जमाना खत्म हो गया है। शोषण कब तक होता है, जब शोषित शोषण से जागृत नही होता। जब जागृत हो जाता है शोषण से तो रिवेंज होता है, रिवोल्ट होता हैं, वर्ग संघर्ष होता है तो यह सोचना होगा आज लोग शोषण से जाग उठे है चाहे वह महिलाओं पर शोषण हो, मजदूरो का शोषण हो या किसान का शोषण हो। अगर एक धर्म का दूसरे धर्म पर शोषण हो वह सहन नही किया जा सकता है। आप देखें जब राम हुए तो रावण भी हुए, जब कृष्ण हुए तो कंस भी हुए और जब गांधी हुए तो गोडसे भी हुए। हमेशा वेल्यु ने इविल को मारा है। राम ने रावण को मारा, कृष्ण ने कस को मारा। तब इविल पर वेल्यु की विजय हुई। जब गोडसे ने गांधी को मारा तो इविल ने वेल्यु को मार दिया। जब अच्छाई को इम्पोर्टेन्स मिलती है तो बुराई दबती हैं। जब बुराई को इम्पोर्टेन्स मिलती है तो अच्छाई दबती है। आज समय आ गया है। मैं विरोधी पक्ष के सभी माननीय सदस्यो से बिनती करता हूं हमारे और आपके पोलिटिकल फ्रंट पर मतभेद हो सकते हैं, हमारी और आपकी आर्थिक-नीतियां अलग अलग हो सकती है (व्यवधान) लकिन जहां तक सामाजिक बुराइयों का सवाल है उनको दूर करने के लिए हम सभी पोलिटिकल

[ठाकुर जगतपाल सिंह]

पार्टियो को मिल कर के एक फ्रंट बनाना चाहिए सभीपोलिटिकल पार्टिया इन बुराइयो को दूर करने के लिए आन्दोलन करें ... (व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र वर्मा : शंकराचार्य को भी जेल भेजवा दीजिये। (व्यवधान)

ठाकुर जगतपाल सिंह : शंकराचार्य को आप भिजवाएं, हम तो भिजवायेगे ही। खैर मैं ...

श्री सत्य प्रकाश मालवीय (उत्तर प्रदेश) : हरियाणा मे होते तो वर्मा जी भिजवा देते .. (व्यवधान)

ठाकुर जगतपाल सिंह : खैर मै ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हू हमारे भाई साहब इस बात को मानेगे कि राजनैतिक और सामाजिक क्रान्ति मे बड़ा भारी अन्तर है, भेद है। जहां तक सामाजिक क्रान्ति का सवाल है सामाजिक बुराई न आप मंजूर करने के लिए तैयार है और न हम करने को तैयार है। राजनीति मे आर्थिक नीतियों मे अन्तर हो सकता है कोई समाजवाद कहता है, कोई पूजीवाद कहता है, कोई साम्यवाद कहता है, वहां विरोधाभास हो सकता है लेकिन जहां तक सामाजिक बुराइयो का सवाल है आदरणीय अटल विहारी वाजपेयी जी आपका तो धर्म ठेकेदारो के ऊपर हाथ है कृपा कर के आप उनको कहे। धर्म और राजनीति जब दोनो एक साथ मिल जाते है तो धर्म भी गिरता है और राजनीति भी गिरती है। ये एक गाड़ी के दो पहिए हैं। धर्म एक तरफ चल सकता है तो राजनीति दूसरी तरफ नहीं चल सकती। जो कुछ हुआ उसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है कि मै क्या कहूं लेकिन आपके माध्यम से इतना मंत्री जी को मैं कहना चाहता हूं कि मुझे इसमें एक बहुत बड़ा षडयंत्र लग रहा है। वह षडयंत्र क्या है उसकी आप जाच कराये। मै एक बात पूछना चाहता हूं जब 10 हजार, 50 हजार आदमी पहुंच चुके थे तो इंटेलीजेंस कहां पर सो रही थी, क्यों खबर नही मिली। यह बात मैं नही मानता हूं जैसा मेरे दोस्तों ने कहा कि मिलिटरी भेजते। यह गलत था। एक निर्दोष के मरने के बाद सौ दो सौ निर्दोषो को मार दिया जाता। यह और बुराई होती। लेकिन पहले से प्रीकाशन क्यों नहीं ली गयी जब यह चीज पहले हो चुकी थी। मैं कहना चाहता हूं कि इस पर गहराई से छानबीन की जाये। कही ऐसा तो नही है कि इसके पीछे एक राजनीतिक षडयंत्र, आर्थिक षडयत्र अथवा जाति और धर्म का षडयंत्र हो, यह भी आप गहराई से देखे।

मुझे आपने समय दिया, मैं आपका बहुत मशकूर हूं और मै केवल अत मे इतना ही कह सकता हू कि हिन्दुस्तान मे हमारे सभी प्रतिनिधि अपनी आखो को खोले और हम और आप मिलकर इस देश मे जो आर्थिक क्रांति हो रही थी जो आर्थिक क्राति हो रही है उसको आगे बढाये। हमारी लम्बी मंजिल थी। हम गिरे, उठे, चलते रहे। हमने अपनी मंजिल नही छोड़ी और हमारी मंजिल है देश में सामाजिक और आर्थिक क्राति।

श्री धर्मचन्द्र प्रशान्त (जम्मू और काश्मीर) : उपसभापति महोदया, "सती" एक प्राचीन प्रथा है। इसका धर्म के साथ कोई सबध, नही है। शंकराचार्य जी ने जो इसकी व्याख्या दी, उन्होने जो युक्ति दी, हमने पढ़ी। धर्म को प्रथा के साथ क्यो सम्बद्ध किया जाता है यह मुझे समझ में नही आया। यदि धर्म को रखना है तो प्रथाओं से दूर रखें। शास्त्र मे मनु ने कहा "धर्मेव हतोहन्ति धर्मो रक्षिते रक्षत"

If you protect dharma, that dharma protected by you will protect you. If you kill dharma, the dharma killed by you will kill you.

यही बात है कि अगर हमे धर्म की रक्षा करनी है तो इन प्रथाओ को दूर रखे। एक विदेशी महिला जो प्रोफेसर है टोकियों मे उन्होंने मुझसे पूछा

What is the history of sati, who initiated it?

उपसभापति महोदया, "सती" का संबंध "सत" शब्द के साथ है और सत का अर्थ सत्य "ट्रथ" है। पहली "सती" कौन थी। महादेव की स्त्री का नाम था, जो उनकी पहली पत्नी थी। पार्वती के साथ दूसरा विवाह हुआ था। इनके पिता दक्ष की मर्जी के विरोध मे हुआ था। वे नहीं चाहते थे कि मेरी लडकी की शादी महादेव के साथ हो जाये। उन्होने एक यज्ञ की रचना की, दोनों को बुलाया पर उसमे महादेव की अवहेलना की गयी, भर्त्सना की गयी। उनकी पत्नी सती को यह सह्य नहीं हुआ। वे आग में जल गयी। महादेव जीवित रहे। उनकी चिता पर नही जली। उनके अदर एक ज्वाला भड़की और वे वहा कूद गयी, आग मे जल गयी। यहा से आरम्भ होता है "सती" का, ऐसे उद्धरण मिलते है कि पति के साथ स्त्री जल गयी, परंतु यह प्रथा ही थी। रामायण काल में भी जैसे कि भगवान राम की माता कौशल्या और महाराजा दशरथ की अन्य दो स्त्रिया सती नही हुई। जब भगवान राम ने रावण को मार दिया तो रावण की स्त्री मन्दोदरी सती नही हुई, उसकी पुत्रवधु सुलोचना सती हो गयी। कहने का मतलब यह है कि यह वालंटरी था, कम्पलशन नहीं था। महाभारत में हमें बहुत से प्रसंग मिलते है। सबसे बडा प्रसंग शान्तनु का है जो कौरवों, पाण्डवों के पितामह थे। पहली स्त्री गगा थी जिनसे भीष्म पुत्र हुआ। उनका पहला नाम देव-व्रत था। गंगा तो चली गयी। अब उन्होंने सत्यवती धीवर कन्या के साथ शादी करनी चाही। उसके पिता ने शान्तनु को

1.00 P.M

कहा कि यदि तुमने मेरी लड़की के साथ विवाह करना है, तो एक प्रतिज्ञा करो कि इसके पेट से जो बच्चा पैदा होगा, तो वही राज सिंहासन का अधिकारी होगा, और भीष्म नही जो तुम्हारा बडा लड़का है। वह असमंजस मे पड़ गये, परंतु भीष्म ने पिता की यह इच्छा रखने के लिए यह प्रतिज्ञा की कि मै आजन्म ब्रहमचारी रहूंगा, मै राज सिंहासन पर नही बैठूगा।

बड़ी भारी यह प्रतिज्ञा थी। तभी से उनका नाम भीष्म पड़ा। शादी हो गई सत्यवती के साथ। उससे दो पुत्र हुए। वह दोनों पुत्र विचित्रवीर्य और चित्रांगद, वह दोनों मर गये। उनकी कोई संतान नहीं थी। उस वक्त उनकी माता सत्यवती ने कहा सती होती तो कह देती कि सती हो जाओ।

उन्होने भीष्म को कहा कि देखो, हमारा कौरव वश नष्ट हो रहा है। दोनों मेरी जो पुत्र वधुये है, उनके कोई संतान नहीं है, तुम इन दोनों से संतान की उत्पत्ति करो नियोग द्वारा। तो उस समय--जो सस्कृत जानते हैं, समझ सकते है, उन्होंने एक शब्द कहा--

"भ्रातु दारस्थ सह कुरू धर्मम्।"

यह कुरू धर्मम् बहुत ही महत्व का शब्द है, कि भाई की स्त्री मे नियोग द्वारा पुत्र, उत्पन्न करो। वह इसको धर्म कह रही है। अगर सती होती तो कहती कि जल जाओ। वहां धर्म कौनसा था?

इससे सिद्ध होता है कि सती दाह एक प्रथा थी, जो धर्म के अनुकूल नही थी।

उसके बाद कुंती, वह सती नही हुई--छोटी माद्री जो दूसरी स्त्री थी पाडू की, वह सती हो गई।

इसी प्रकार से भगवान कृष्ण ने जब शरीर छोड़ा, उनकी आठ पटरानियां थी। हमे यह प्रसंग कही नही मिलता कि वह भी उनके साथ सती हो गई। सारे यादव द्वारका में कट मरे सारे के सारे। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि जितनी विधवाये है तुम वहां आ जाओ और द्वारका से हस्तिनापुर में ले आओ। अगर ऐसे होता तो वह कहते कि वह सती हो जाए, परंतु ऐसा नही हुआ। गीता के अठारह अध्याय है--इसमे "धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे"--प्रथम अध्याय से लेकर अठारह अध्याय तक, अगर पढ़े, तो कही सती का नाम नही है। हमारे गर्भाधान सोलह संस्कार है, गर्भाधान से अत तक, पर सती का कोई संस्कार नही है।

अब यहां दिवराला मे ब्राहमणो ने मत्र उच्चारण किये है पर यह नही पता कि यह मंत्र कौनसे थे। एक पत्र मे लिखा

[श्री धर्मचन्द्र प्रशान्त]

था कि "स्वस्ति वाचन" पढ़ा गया है। पर स्वस्ति वाचन मृत्यु के समय नहीं पढ़ा जाता है। यह तो अच्छे संस्कारों का है। श्राद्ध में भी स्वस्ति वाचन नहीं पढ़ा जाता, तो यह स्वस्ति वाचन कैसे उन्होंने पढ़ दिया ?

तो इससे ऐसा लगता है कि सती के समय का कोई मंत्र नहीं है उनके पास। तो अब इस तरह से घसीटना तो ठीक नहीं है। यह जबरदस्ती लड़कियों को चिता पर सती होने के लिए बिठाया जाता था।

अब यहां कल एक माननीय सदस्या ने एक मंत्र का उद्धरण दिया था। वेद में आता है कि उस वक्त विधवा को अपने पति के शव के आगे बिठाया जाता था, तो "अग्रे" शब्द था। वहां अब उन्होंने अग्रे को "अग्ने" कर दिया, यानी अग्नि (फायर) और अग्ने में एक त्रुटि है। वहां मैंने देखा कि अग्ने के आगे विसर्ग नहीं है। वह व्याकरण की दृष्टि से गलत हो जाता है। अग्ने के आगे विसर्ग चाहिए, पर वह विसर्ग नहीं है। अग्ने कहिए, लेकिन विसर्ग छोड़ दीजिए, तो विशुद्ध हो जाता है। तो उससे सिद्ध होता है कि कुछ जान-बूझ कर धर्म को इसके साथ जोड़ दिया गया है और वह गलत है। इस प्रथा का इसके साथ कोई सबंध नहीं है।

इसके अतिरिक्त शंकराचार्य जी ने कहा है, वह तो हमें भाषा नहीं है। पता नहीं कौनसी उन्होंने व्यवस्था ली है, परंतु जो धर्म है, वह आज्ञा नहीं देता है कि स्त्री पति के बाद सती हो जाए। यह एक प्रथा थी कि वह जले। अब पांच हजार वर्ष पहले की बात को तो कहें कि वह आज भी अनुकूल है—यह जागृति का समय है, आज महिला जागृत हो गई है, क्रान्ति का युग है, साईंस और टैक्नोलोजी का युग है और आप इसमें कहें कि महिलाएं जल जाएं--जब कि महिलाओं को छोटी बधुओं के ऊपर मिट्टी का तेल छिड़क कर दहेज के लिए जलाया जाता है, इस युग में महिला पति के साथ जल जाए, यह तो हमें अनुकूल नहीं दीखता है।

इसलिए मेरा कहना यह कि कि जो भी कानून आप बनायें, उसमें व्यवस्था रखी जाए कि कानून जो है, वह चाहे कितना भी सख्त हो वह किसी चीज को दबा नहीं सकता। किसी आदमी का वध किया जाता है तो उसके फांसी की सजा है। इसलिए ऐसे वातावरण में शिक्षा मिलनी चाहिए जिससे कि पता चले कि यह जो सती प्रथा है यह बहुत बुरी है और यह हमारे अनुकूल नहीं है। यह तो ला बनना चाहिए। लेकिन यह भी होना चाहिए कि हमारे अन्दर ऐसे संस्कार डालें जिससे महिलाएं जागृत हो। वैसे महिलाएं जागृत तो हो चुकी है लेकिन वे आगे और भी जागृत हो ताकि यह प्रथा आगे हो न सके। धन्यवाद।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (मध्य प्रदेश) : मंत्री महोदय जब जवाब दें, मैं भाषण नहीं कर रहा हूं, लेकिन मंत्री महोदय जब जवाब दें तो सदन के सामने यह जानकारी भी रखें कि देश में ऐसे पुरुषों की संख्या कितनी है जो अपनी पत्नी के मर जाने के बाद उनकी चिता पर "सता" हो गए ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में युवा कार्य और खेल तथा महिला और बाल विकास विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्ग्रेट अल्वा) : उत्तर तो मैं अभी देने को तैयार हूं कि अभी तक कोई नहीं मरा है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मैं वर्षों से ऐसे पराक्रमी पुरुष की तलाश कर रहा हूं जो पत्नी के वियोग में पत्नी की चिता पर चढ़ कर स्वर्ग चला गया हो। शायद सरकार के पास कोई जानकारी हो ?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : अभी नहीं है।

SHRIMATI MARGARET ALVA: Sir, a bachelor like you can afford to ask that question!

श्री पी० वी० नरसिंह राव : न कोई पत्नी पर जल मरा है, न वैवाहिक होने के बावजूद भी किसी पर जल मरा है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : उपसभापति महोदया मैंने सुना है कि राजस्थान में बहुत दिन पहले एक सती हुआ था।

श्री राम चन्द्र विकल (उत्तर प्रदेश). उपसभापति महोदया, सती प्रथा वाला प्रश्न अल्पकालिक था पर दीर्घकालिक बन गया, स्वाभाविक भी है, क्योंकि जो अभी ताजा घटना राजस्थान में हुई उसकी राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय चर्चा सभी समाचार पत्रो में है, चाहे वह देश के है, चाहे विदेश के है। तब सदन मे इस पर चर्चा होना स्वाभाविक ही है वैसे तो सभी वक्ताओ ने इस पर विचार व्यक्त किए है और माग की है कि कानून बनना चाहिए और सरकार की तरफ से भी आश्वासन दिया गया है कि इस पर जल्दी ही हम कोई विधेयक ला रहे है। यह विधेयक जल्दी आए एक तो यह जरूरी है। दूसरा मुझे यह भी कहना है कि समाज की सामजिक संस्थाओ सामाजिक संगठनो और धार्मिक संस्थाओं को भी कि उन्हे इसमे आगे आना पड़ेगा। आर्य समाज का नाम मैंने पढा है। उन्होने बहुत जोर से कहा है कि हम इस सती प्रथा के खिलाफ देशव्यापी आदोलन करेंगे और इसका विरोध करेंगे। वे पहले भी कुछ ऐसे काम करते रहे है लेकिन दूसरे सामाजिक संगठनो और धार्मिक संस्थाओं को भी इसमें आगे आना चाहिए। कानून भी जरूरी है, लेकिन कानून का सख्ती से और सही तरीके से पालन उससे भी ज्यादा जरूरी है। आज थोड़ा दुर्भाग्य यह है कि कानून तो अच्छे-अच्छे है बाल विवाह के खिलाफ भी कानून है शारदा एक्ट जो बना था, लेकिन अभी तक देश मे विवाह होते है और बहुत जगह होते हैं। इसलिए कानून बनाने से पहले हमको यह सोचना पडेगा कि कानन प्रभावी हो और उस पर अमल कराने वाले लोग भी इस हक में हों कि वे कानून का पालन कराने के लिए तत्पर हो। कानून जरूरी है लेकिन उसके स.थ साथ समाज के संगठनो को आगे आना चाहिए, धार्मिक संस्थाओं को भी आगे आना चाहिए शिक्षण संस्थाओ को भी आगे आना चाहिए। सभी संस्थाओ आगे आना चाहिए और इसके लिए एक माहोल बनाना पडेगा। अभी राजस्थान की ताजा घटना तो दर्दनाक है ही लेकिन यह बहुत पुरानी परंपरा चली आ रही है और समाज में यह समझा जाता रहा है विशेषकर हमारी माताओं, बहनो और स्त्रियों में कि यह बड़ा भारी पुण्य का काम है यह धर्म का काम है ऐसे जीवन बलिदान देना अच्छी बात है। मुझे तो एक घटना याद है। बुन्देलखंड की राजेन्द्र कुमारी जी यू. पी. असेम्बली की मेम्बर थीं। उन्होने हमारे जो सी. बी गुप्ता चीफ मिनिस्टर थे उन्ही चीफ मिनिस्टर को चुनाव मे हराया भी था। लकिन जब दीवान शत्रुघन सिह का स्वर्गवास हुआ तो उन्होंने इच्छा जाहिर की कि मैं भी सती होना चाहती हूं। यह 4–5 साल पहले की घटना है। बुदेलखंड की बहुत समझदार लेडी, राजनीति मे खूब थी, सर्वोदय मे उन्होंने गाव दान किया बिनोवा जी को और पूरे रचनात्मक कार्य मे शत्रुघ्न, उनके लड़के-लड़कियों सब लगे हुये इतने समझदार, लेकिन राजेन्द्र कुमारी जी ने सती होना चाहा, सारे इलाके में उन्हे रोक दिया उस वक्त, नहीं सती होने दिया, उन्होंने आमरण–अनशन कर दिया और यह कहा कि मेरी शांति अगर चाहते हो, मुझे जाने दो और तुम बदनामी चाहते हो इस कुल की, इस खानदान की तो मुझे जीवित रहने दो। यह मैं एक समझदार का उदाहरण दे रहा हूं, मामूली उदाहरण नही दे रहा हू। आखिर, घर वालो ने लड़का उनका एम एल०ए० रहा हमारे साथ, सर्वोदयी कार्यकर्ता आज भी है और फिर उनको सती होने के लिये इलाके ने स्वागत के साथ सती करा दिया। तो यह जो गलत परम्पराये पड़ी हुई हैं संस्कारों में, उनको निकालना पड़ेगा और ऐसे संस्कार हमें बचपन में डालने होंगे, स्कूलों से डालने होंगे, शिक्षण संस्थाओं से डालने होंगे कि यह आत्महत्या है। इसको सम्मान की बजाय खुली हुई आत्म-हत्या कहना पड़ेगा और आत्म-हत्या से कोई बड़ा पाप मैं तो समझता नहीं। यह आत्महत्या बहुत बडा पाप है, इसको आत्महत्या की सज़ा देनी होगी जो सती होना चाहते है। यह तो दुर्भाग्य है कि रूपकंवर को जबरदस्ती मे फैंका गया, वह नही चाहती थी। लेकिन लोग स्वेच्छा से भी करते हैं। तो इस आत्महत्या को रोकना पड़ेगा।

[श्री राम चन्द्र विकल]

उपसभापति महोदया, आत्महत्या महा-पाप है, इसको तो मानना पड़ेगा । आत्म-हत्याये भी कई प्रकार की होती है । मैने ऐसे महात्मा, संयासी देखे है, जो गुफा मे बैठ जाते है अन्तर्ध्यान होकर । अभी गाजियाबाद में एक बैठ गये कि मै 15 दिन जमीन के अन्दर रहूंगा, पुलिस लगा दी गयी, पुलिस के सामने होता रहा, शहर में एक महात्मा को गहरा कुंआ खुदवा कर पटवा दिया गया और 15 दिन के बाद जब निकाला तो मृत पाये गये, नहीं निकल पाये जिन्दा । तो यह जो आडबर चल रहे है, इनको भी रोकना होगा । यह जो बड़े-बड़े महात्मा आडंबर करते है, पुलिस की देख रेख में करते है, सरकारी लोगों की देखरेख में करते है, सारा समाज देखता रहता है और आत्म-हत्या हो जाती है । इसको रोकना होगा । मै किसी धर्म विशेष को नही मानता हूं, सब धर्मो का समान आदर रखता हूं ।

अभी आपने हमारे सोनीपत जिले का सुना होगा । वहां एक जैन साधू अन्नजल छोड़ कर कितने दिन बैठे रहे । अखबारों मे पढ़ते रहे कि उनकी यह दुर्दशा है, आज उनको यह परेशानी है, आज उनको वह परेशानी है । यह तो एक तरह से जीवन समाप्त करना है । इसका एक तरह से अभिशाप कहना पड़ेगा, महापाप कहना पड़ेगा । हां, जतेन्द्र नाथ दास की कहाना तो अलग थी, उन्होंने अंग्रेजी–राज्य के खिलाफ आमरण अनशन किया, जीवनदान दिया, बलिदान हो गये । लेकिन महात्मा संयासी, धार्मिक लोग, स्त्रियां और समाज में जो इसको आदर मिला हुआ है, इसको जघन्य अपराध कहना पड़ेगा ।

अब आत्म-हत्यायें जो होती है, वाजपेयी जी चले गये, इनको कुछ अनुभव भी नही है । आये दिन आत्म-हत्यायें होती हैं । लडके-लड़की कभी कभी आपस में सबध कर बैठते हैं भावावेश मे और भावावेश में आकर दोनों की मौत हो जाती है, लडका भी प्राण हत्या कर लेता है औ लड़की भी प्राण हत्या कर लेती है और जवानी मे, जबकि जवानी मे तो आत्म-हत्या का सोचना भी नहीं चाहिये । ऐसी आत्म-हत्यायें आये दिन होती रहती है, कुछ तेल छिड़क कर या कुछ जरा सी भी वेदना हुई तो आत्म हत्या । अपने आप भी तेल छिड़क कर लड़के-लड़कियां मर जाते है, अपने आप फासी लगा लेते है, अपने आप नदी मे कूद जाते हैं, अपने आप बिल्डिंग से कूद जाते हैं । अपने आप रेल की पटरी चले जाते है । क्यो ? जरा सी कोई वेदना हो जाय, किसी तरह की वेदना तो उसे वह सहन नही है... (**व्यवधान**)...

श्रीमति तूर्यकांता जयवंतराव पाटील (महाराष्ट्र) लेकिन वह आत्म-हत्या नहीं थी, वह तो हत्या थी ।

श्री रामचन्द्र विकल : मैं तो इसको सपोर्ट कर रहा हूं । मै तो जघन्य अपराध कह रहा हूं, जो जबरदस्ती लड़की को फेंका ।

श्रीमती तूर्यकांता जयवंतराव पाटील : मैं आपसे बिल्कुल सहमत हू । लेकिन यह तो हत्या थी ।

श्री रामचन्द्र विकल : यह तो मैंने पहले ही कह दिया कि यह तो जबरदस्ती तो हत्या की गयी । पर हत्या से आत्म-हत्या को जोड़ रहा हूं । थोड़ा सा इसमें फर्क है । मैं यह भी कहता हूं कि लडकियों को और जगह भी जलाया जाता है । घरों मे जलाया जाता है जहर दिया जाता है । किस तरह से हत्यायें और आत्महत्यायें हो रही है – दोनों को जोड़कर मैं चल रहा हूं । मै हरगिज इसका समर्थन नही करता । आज इस कारोबार को खत्म करने के लिये अनेकों राम मोहनराय पैदा होने चाहिये । राजा राममोहन राय ने इसके बारे में सोचा था जब देश गुलाम था । उनका नाम अमर है । इस तरह के सुधारक निकलने होगे । तभी हम इन चीजो पर काबू पा सकेगे ।

उपसभापति महोदया मैं आपसे बहुत विनम्रता से एक बात कहना चाहता हूं । मेरे पास भी एक आत्महत्या का केस आया है । एक लड़की है – कृष्णा यादव, उसने अपना नाम लेने को मना किया है। वह यही करौलबाग की रहने वाली है । उसके पति डीन है दिल्ली यूनिवर्सिटी के ।

मेरे घर पर योग का कैंप चल रहा था, जैसे आजकल लग रहा है । साप्ताहिक हिन्दुस्तान में बालकवि बैरागी जी ने हमारी 55 बातें छाप दीं । जो बातें छापीं तो मेरे पास नेपाल से मारीशस से अनेक चिट्ठियां आई । उस लड़की कृष्णा यादव की चिट्ठी अभी भी मेरे पास है । बालकवि बैरागी जी ने उस चिट्ठी को साप्ताहिक हिन्दुस्तान में छपवा दिया जिसमे वह नाराज भी हुई । उस लड़की ने चिट्ठी में लिखा कि उसका शरीर गोरा था जो काला पड चुका है । आंखो से भी धुधला दिखायी देता है । डिप्रेशन इतना है कि मै आत्महत्या को तैयार हूं । तुम्हारे योग और आसनों में यदि कोई क्रिया हो तो मुझे बचा लो । संयोग से 14 अप्रैल के बाद 19 अप्रैल को मेरे यहां कैंप था मुझे उस लड़की ने चिट्ठी लिख दी क्योकि मेरे ही घर का पता दिया था उस लेख में । वह लड़की आसन कर रही है । वह अकेले वज्रासन से आत्महत्या से बच गयी । उसको और बातें बतायीं कि नर्वस सिस्टम कैसे मजबूत होता है, कैसे आघातों से आदमी मजबूत होता है । मन, बुद्धि और शरीर कैसे स्वस्थ होता है । आज वह कहती है कि काश मै आत्महत्या कर जाती तो मैं बड़ा भारी पाप करती । आत्महत्या वह करते हैं जिनका नर्वस सिस्टम कमजोर होता है कोई विकार या वेदना वे सहन नहीं कर पाते हैं । उन्हे जीवन बड़ा दुभर लगने लगता है । जिन्दगी से मौत अच्छी लगती है और निर्जीव हुये रहते है जिन्दा शक्ल में । नरसिह राव जी ने कहा तो है कई बार कि बच्चों को स्कूलों और कालेजो में योग-आसन करवायेंगे । आज यह अन्तर्राष्ट्रीय काम हो रहा है । बच्चो का नर्वस सिस्टम, शरीर मन और बुद्धि मजबूत हो, मुझे मालूम है बहुत से राजनीतिज्ञ हार को सहन नही कर सकते और हार्ट फेल हो जाते है। मैं एक ऐसी दुखद घटना जानता हू । यशपाल सिह एक एम पी० होते थे सहारनपुर से । उनका नाम था मिनिस्टर मार । पहले ठाकुर फूलसिह को हराया । अजीत प्रसाद जैन को हराया महावीर त्यागी को हराया और 71 में हमारे एक छोटे से कार्यकर्ता हुये है मुल्कीराज सैनी उनसे हार गये । उन्हें शाक लग गया । बीमार हो गये और विलिंगडन में भर्ती हुये । मै उनकी सायको-लोजी जानता हूं । वे मेरे अभिन्न मित्र थे । मैंने इंदिरा जी से कहा कि इस आदमी के प्राण बचा लो । इदिरा जी ने अस्पताल में जाकर कहा कि राजस्थान मे सीट खाली है । राज्य सभा मे ले आऊगी, लेकिन यशपाल का शरीर अन्त होकर रहा । तो यह हार-जीत की वेदना हो या किसी और की यह नर्वस ब्रेक डाउन आदमी के प्राण लेकर ही छोड़ता है । वह भाई हमारे बीच से चला गया । तो हम सबको स्नायु से मजबूत होना पड़ेगा तभी यह खुदकुशी और आत्महत्याये कम हो सकती है ।

मैं फिर सभी भाईयो का समर्थन करता हूं जिन्होने राजस्थान में हुये इस जघन्य अपराध का खंडन किया है । चाहे केन्द्र सरकार हो या कोई भी राज्य सरकार हो ऐसे अपराधियों को सख्त-से-सख्त सजा देने का प्रावधान रखना चाहिये और उन पर अमल भी होना चाहिये । तभी मै समझता हूं कि इसमे कुछ रोक लग सकेगी । इन्ही शब्दो के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं ।

SHRI T. R. BALU (Tamil Nadu): Madam Deputy Chairman, first of all, I have to thank you for having allowed this short duration discussion to become a long duration discussion. Madam, yesterday and today, many hon. Members of both this side and the Treasury Benches have advocated against the crime of Sati. Many hon. Members of the Treasury Benches have invariably quoted the preachings of Puri Sankaracharya for Sati. But I want to know from the Treasury Benches, if he is abetting the crime, what prevented the Treasury Benches to bring him to book and why they have not taken recourse to law. If at all you want to take any action against that culprit, when are you going to take that action? This has to be answered categorically by our Minister concerned while he is replying. Madam, it is an incident of barbarous cruelty inflicted on women which has got no sanction anywhere in the socalled religious Texts It is an incident of national shame and it is the duty of every citizen of India to speak out against the crime of Sati and to speak out against the heinous and shameful event and against the glorification of the treacherous murder. When the

[Shri T. R. Balu]

aliens, the Britishers, ruled our country, even 150 years ago, they had created laws against the conduct of Sati. But when the incident has taken place at the Deorala village of Rajasthan, the Government of Rajasthan and the entire machinery were lukewarm in condemning the Sati incident and also the glorification of it. The Government has not taken any proper action while the incident was on. So, I request the hon. Members of the Treasury Benches to look into this affair. Madam, in order to get and retain the vote banks, the politicians have conveniently ignored the act of Sati unchecked. The Rajasthan Government which is in charge of law and order has to be punished for that. It should be sacked at any cost. Madam, we should create a general awareness and we should cultivate the scientific temper as developed by Pandit Nehruji during the span of his lifetime. But his grandson, our beloved Prime Minister, is spending his time in having his partymen to conduct huge Yagmas and our Prime Minister often goes there to take Sankalpa. Huge amounts running into millions of rupees are being spent on large yagmas when the country is really reeling under a severe drought How could our Prime Minister participate in such functions when he talks of leading this country through a movement of scientific temper? He is, instead, leading us back to the middle ages, not forward to the twentyfirst century He is not leading us through the path of Nehruji.

[**The Vice-Chairman (Shri Jagesh Desai)** in the Chair]

When such is the state of affairs prevailing, how do you expect the common man in a village like Deorala to be above ignorance? I therefore, appeal to every right thinking Indian citizen to raise his voice against sati, against the evil of sati. With these worlds I conclude. Thank you.

SHRI CHITTA BASU (West Bengal) Mr. Vice-Chairman, at the outset I condemn with all the emphasis at my command the incidence of sati at Deorala. Someone has condemned it and described it as reprehensible, barbaric and savage. I have no fresh words in further condemning this brutal practice. Even in the case of Deorala it is nothing but murdering a helpless girl in her teens. This system or *pratha* is nothing but legitimising widow-murder under the garb of a religious practice. I am most pained that we are now in 1987 required to discuss the system or pratha which was abolished in 1829 by a British law. Even after its abolition under a British law, so far as my information goes the practice still continues and there are no official figures available in regard to the number of incidents of sati. But there are 140 sati temples all over the country and of them 80 are situated in Rajasthan and in Rajasthan the Deorala incident has become the 28th incident of sati after independence. Therefore, I thing it is necessary that Parliament should discuss the issue in great details and devise ways and means of fighting this evil. With this is connected a new phenomenon and that phenomenon is the phenomenon of revivalism, of obscurantism and the rise of religious fundamentalism. I take this opportunity to say that there is an environment all over the country today of different kinds of religious fundamentalism and this Rajasthan incident is nothing but a manifestation of that religions fundamentalism. And if this religious fundamentalism is not fought politically, ideologically and through other means, this inhuman practice cannot be put an end to. Therefore, I would like to submit to the Members of this House who are really secular, who are really democratic and who are really patriotic that this Deorala incident is to be connected with the rise of the fundamentalist forces in our country. Our Government is committed to fight against the fundamentalist forces and the left and democratic forces and the secular forces in the country are also committed to fight against the fundamenalist forces. It is not merely a question showing sympathy for the women in the country. It is thus connected with a greater task for the democratic and secular forces. Therefore, I condemn it and I pledge to fight against it and my party would fight against it as it has been fighting against it.

Sir, I do not want to strike any discordant note here. But, Sir, yesterday; it was amazing to find the honourable Minister of State for Welfare Dr. Rajendra Kumari Bajpai harping on certain lapses on the part of the Janata Party. At the same time, before commenting on that, I would sincerely appreciate the stand taken by Mrs. Margaret Alva and the entire House should appreciate it. I also appreciate the stand taken by the honourable Minister, Mr. Chidambaram, on this issue. But, after listening to Mrs. Bajpai, I am reminded of the saying that the pot is calling the kettle black. I do not support the statement of the President of the Janata Party; I condemn it. That Party has taken certain steps against that particular person. Instead of accepting it, when Mr. Gurupadaswamy announced it, when Dr. Bapu Kaldate made it clear on the floor of this House, Mrs. Bajpai was very much insistent and she asked: "Why have you not expelled him?" I wish to say that this nothing but the pot calling the kettle black.

Now, Sir, let us see what has been said by the Home Minister of Rajasthan. Does he not belong to the Congress (I) Party? I would like to quote what he has said in this connection. I quote:

> "Worship is civil right granted under the Constitution. Should the Government encroach upon the rights of the citizens? If the Muslims can build tombs on their graves, a *sabutra* umbrella shape stone memorial at the Sati Sthal cannot be considered objectionable."

Now, Sir, is it not an abetment to the glorification of Sati? And who has said this? That is very important. Who has said it is important and what he has said is more important And, Sir, he happens to be the Home Minister of Rajasthan on whom rests the responsibility of protecting the life, honour and security of the people, particularly the women.

Now, Sir, I come to the Rajasthan Government itself. The Advocate-General represents the views of the Government. Am I wrong? The Advocate General represents the views of the State Government.

SHRI SATYA PRAKASH MALAVIYA: He holds a brief for the State Government.

SHRI CHITTA BASU: Yes, it is the brief of the State Government and he explains it and defends the State. Now, Sir, the Advocate-General of Rajasthan pleaded in the High Court of Rajasthan:

> "The *chunri* function was basically a family function, a social and religious function, which could not be declared illegal since it was confined to that family"

Now he takes the legal umbrella saying that *chunri* cannot be prevented because of the arguments he has given. And who is that person? He happens to be the Advocate-General of Rajasthan Government. He is a practising lawyer. You know what importance he has there.

Now, coming to the AICC, it is more important. Mr. Chaturvedi condemns the stance taken by Mrs Alva, the stance taken by Mr. Chidambaram. And he goes on condemning them with these words:

> "Unlike Mr. Chidambaram, the Rajasthan Congress leaders have not condemned the incident because they have to live and work in the state If the Rajasthan people did not support sati, why would lakhs of people gather?... "

Sir, I have got nothing to say But that what was told by the AICC General Secretary, Mr. Chaturvedi.

SHRIMATI MARGARET ALVA: No. it is not correct. I have got the statement.

SHRI CHITTA BASU: I am reading from a journal.

Therefore, I appreciate the sentiments expressed by our Minister of Human Resource Development. That should be conscientious, conescientious ideologically and politically. These evil practices are born out of obscurantism and born out of feudalism. Therefore, I join my voice with other Members in this House who have condemned it and who have pledged to fight against it. I appreciate the stand taken by Mrs. Margaret Alva and Mr.

Chidambaram in codeming the action of the Rajasthan Government. If the Government feels that the Rajasthan Government should be chastised, and chastised because of this shortfall. I think that will be a great step, a bigger step, to further the movement against religious fanaticism, against the evil system which is eating into the vitals of our nation.

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात पर संतोष है कि 4 सितम्बर को देवराला में रूप कंवर की जो हत्या हुई दर्दनाक हत्या हुई, बर्बर हत्या हुई उसका विरोध इस सदन में सभी सदस्यों ने चाहे वे किसी भी दल के हों जोरदार विरोध किया है। 4 सितम्बर की घटना के केवल अमानवीय थी न केवल हैवानियत की इंसानियत पर विजय थी बल्कि एक प्रकार से भारत माता की आत्मा की हत्या थी। हमारे देश और हमारे समाज का मानस इतना सड़ गया है यह समझ में नही आ रहा है। 4 सितम्बर को जब दर्दनाक घटना घटी जैसे कि समाचार-पत्रों में जानकारी आई है करीब करीब चार या पांच हजार लोग इस दर्दनाक घटना को देखते रहे जो इसके चश्मदीद गवाह थे। इसी प्रकार से 16 सितम्बर को वहां पर चुनरी हुआ। समाचार-पत्रों में खबर आई कि दो लाख से चार लाख लोग वहां पहुंचे। हाई कोर्ट ने स्थगन आदेश भी दिया था उसका भी पालन नही हो सका। यह बहुत ही दुख का विषय है लेकिन इस प्रकार की जितनी भी सामाजिक कुरीतियां है उन सब को हम को इस देश से समाप्त करना पड़ेगा। महिलाओं को हम लोग लक्ष्मी कहते है देवी कहते है, सरस्वती कहते है, विद्या कहते है, लेकिन हमारा जो आचरण है वह बिल्कुल महिला विरोधी है। इसी राजस्थान में आज भी बाल विवाह प्रथा प्रचलित है। धर्म युग मे इलस्ट्रेटिड वीकली में पत्रिकाओं में समाचार छपे है उनमें तस्वीरें भी आती है कि गोदी में बैठा कर छोटे छोटे बच्चों की लड़कियों की शादी की जाती है। इस देश मे जो धर्म है वह कितना सड़ गया है कि इस देश मे राम की अग्नि परीक्षा नहीं होती है लेकिन सीता की अग्नि परीक्षा हो इस का प्रचार किया जाता है। हमारा जो कानून है उसने सबको बराबरी का स्थान दिया है। हमारे कानून के सामने न कोई बड़ा है न छोटा। लेकिन आखिर क्या कारण है कि महिलाओं को मजबूर हो करके इस तरह की जिन्दगी आज गुजारनी पड़ती है। दहेज की कुप्रथा ही शायद कारण है कि हमारी जो माये है उनकी कोख से जब लड़की पैदा होती है तब वे कम खुश होती है लेकिन उनकी कोख से जब लड़का पैदा होता है तो ज्यादा खुश होती है। आज देश मे फिर एक प्रथा चल गयी है और मैं सदन के माध्यम से अनुरोध करना चाहूंगा कि इस सिलसिले में कानून आना चाहिये। इस बात की भी जानकारी करने की कोशिश की जाती है जब हमारी बहिने गर्भधारण करती है तो उनके पेट मे भविष्य मे आने वाला बच्चा पुरुष होगा या महिला होगी। क्यों ? उसका कारण यह है कि इस देश में दहेज की कुप्रथा है। गरीब आदमी अपनी लड़की की शादी नहीं कर पाता है। इस देश मे विधवा विवाह का विरोध होता है। 12, 15, 16, 18 साल की लड़की अगर विधवा हो जाये तो उसका विवाह नहीं हो सकता है। लेकिन हमारे ही समाज में एक स्त्री के रहते हुये बहुविवाह प्रचलित है। पत्नी मर जाये विवाह हो, वह अलग बात है। लेकिन महिला विधवा हो जाये तो विवाह नहीं कर सकती। पुरुष विधुर हो जाये तो विवाह हो सकता है। बहुविवाह भी हो सकता है। एक स्त्री के रहते हुये दो पत्नियां, तीन पत्नियां, चार और पांच पत्नियां भी रख सकते है। हमारे यहां कानून है आज भी कि 18 वर्ष से कम आयु की लड़की और 21 वर्ष से कम आयु के लड़के की शादी नही होनी चाहिये लेकिन शादियां हो रही है। फिर भी मुझे प्रसन्नता है इस बात की कि इस विषय और इस दर्दनाक घटना का सभी लोगों ने विरोध किया है और मैं समझता हूं कि रूपकंवर की जिस प्रकार से हत्या हुई है इस प्रकार की कोई भी घटना भविष्य मे इस देश मे दोहराई नहीं जायेगी और इस प्रकार की हत्या एक आखिरी हत्या होगी और यह केवल कानून से संभव नही होगा। बहुत से कानून हैं लेकिन उनका कार्यान्वयन नहीं किया जाता है। कानून, कानून की किताब

मे पडे रहते है । इसलिये मेरा निवेदन है कि जो सामाजिक लोग है जो सार्वजनिक नेता है जो राजनैतिक लोग है चाहे किसी भी दल से सबधित हो, उनको इस विषय मे आगे आना चाहिये, जनजागरण का कार्य करना चाहिये, जनचेतना का काम करना चाहिये और जो सामाजिक, धार्मिक, राजनैतिक नेता इस प्रकार की घटनाओ का समर्थन करते है हमको संकल्प लेना चाहिये कि ऐसे लोगों को हम समाज से बहिष्कार करेंगे । मान्यवर, कुछ मेरे मन मे शकायें है जिनका मैं जरूर स्पष्टीकरण चाहता हूं । एक तो जब राजस्थान ने इस संबंध में एक अध्यादेश विधान सभा से सत्रावसान के बाद आया । उसमे इस बात का प्रावधान किया गया है कि भविष्य मे सती चबूतरे नही बनेंगे, भविष्य मे इस प्रकार का ग्लोरीफिकेशन से संबधित काम नही होगा । लेकिन अध्यादेश लागू होने से पहले जो चबूतरे बने हुये है, या इस प्रकार के स्थल बने हुये है उनको नहीं गिराया जायेगा । कल भी एक प्रश्न के उत्तर मे :

"A proposal to have a Central legislation on prevention of Sati is under consideration."

इसका मतलब यह है कि इसी सदन में इसी, सत्र मे इस सबंध मे कानून लाया जायेगा । मेरा इस संबध में मत्री जी से आग्रह है कि ऐसा कानून लाया जाये जो व्यापक हो और उसको सदन मे प्रस्तुत करने के पहले उस पर जितने भी लोग है चाहे सत्ता पक्ष के हों या विपक्ष के उनसे बात कर ली जाये और उस विधेयक का प्रारूप उनको दे दिया जाये, क्योंकि जब ऐसा विधेयक सदन में आयेगा तो उसके पास करने मे कोई कठिनाई नही होगी और सर्वसम्मति से ऐसा विधेयक पास हो जायेगा ।

एक और बात की ओर मै ध्यान आकर्षित करना चाहता हू । कल श्रीमती पहाड़िया जी ने इस बात को कहा कि 16 सितम्बर को जब चुनरी समारोह था तो उसमें सम्मिलित होने के लिये श्रीमती हरदेव जोशी भी जा रही थी । कही रास्ते से लौट रही थीं । लेकिन श्री हरदेव जोशी ने ही, समाचार पत्रो में मैने पढ़ा है, यह कहा है कि जनता द्वारा सती होने को सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है । तो जिस प्रदेश का मुख्य मंत्री ही इस प्रकार से सती होने के संबंध मे सती को ग्लोरिफाई करने के लिये वक्तव्य देता है, तो इस प्रकार की कुप्रथा कैसे समाप्त होगी ?

दूसरा, मुझे प्रधान मंत्री जी की नीयत में तनिक भी संदेह नही है, प्रधान मत्री जी की जो मनोभावना है, उसमे मुझे तनिक भी संदेह नही है, लेकिन 23 सितम्बर को इस देश के गृह मंत्री, श्री बूटा सिंह जी से एक प्रतिनिधि मंडल मिला था, नेशनल फेडरेशन आफ इंडियन विमन और 23 सितम्बर को दिल्ली मे ही उस प्रतिनिधि मंडल ने माननीय गृह मंत्री जी से मिलकर के इस बात पर क्षोभ व्यक्त किया, इस बात पर आश्चर्य प्रकट किया कि इस घटना को हुये करीब-करीब 21 दिन हो गये, क्या कारण है कि आज तक प्रधान मंत्री ने इस घटना की निन्दा नही की, और वह चुप्पी साधे हुये है, मौन है ।

अब प्रधान मंत्री जी ने पहली मर्तबा 27 सितम्बर को वक्तव्य दिया, जो 28 सितम्बर के समाचार-पत्रो मे हमको मिला । दो मंत्री जी जब इस संबंध मे उत्तर देंगी, तो मैं जरूर उनसे इस बात का समाधान चाहूंगा । मैने शुरू में ही कहा कि मै प्रधान मंत्री जी की नीयत पर संदेह नही करता हूं, लेकिन मैं जरूर चाहूगा कि 4 सितम्बर से 27 सितम्बर को इस सबंध में वह मौन क्यों धारण किये रहे और क्यो नही उन्होंने निन्दा की है ?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): The Prime Minister has issued a very very strong statement.

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : मैं तो खुद ही कह रहा हूं कि 4 सितम्बर को यह घटना हुई और 27 सितम्बर के पहले उन्होंने इस घटना की निन्दा नही की है और 23 सितम्बर को जब गृह मंत्री जी से महिलाओ का प्रतिनिधि मंडल मिला, उसने क्षोभ व्यक्त किया ।

तो मैं केवल यह जानना चाहता हूं कि 23 दिन तक प्रधान मत्री जी इस संबंध में मौन क्यों रहे और क्यों नही उन्होने इस बात की निंदा की ? एक बात और..

(व्यवधान)

[श्री सत्य प्रकाश मालवीय]

उपसभाध्यक्ष (श्री जगेश देसाई) : अब अंतिम बात ।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : अंत मे जो श्री चित्त बसु जी ने कहा उससे मैं अपने को सबद्ध करना चाहता हूं क्योंकि श्रीमती मारग्रेट आल्वा और हमारे देश के गृह मंत्रालय के राज्य मंत्री श्री पी० चिदम्बरम जी वहा पर गये और वहा पर जो सामाजिक वातावरण उस समय व्याप्त था वह एक प्रकार से जो मुझ समाचार-पत्रो से जानकारी हुई है वह इस घटना का समर्थन कर रहे थे, लेकिन वहा पर जाकर इन लोगो ने लोगो से बातचीत की, जनता के प्रतिनिधि मडल से भेंट की और उसके बाद श्रीमती मारग्रेट आल्वा ने एक वक्तव्य भी दिया। सही है, लेकिन जो मैंने समाचार-पत्रों मे पढ़ा है —

I have been befooled by the statement of the Chief Minister of Rajasthan, Shri Harideo Joshi.

तो हरिदेव जोशी ने क्या वक्तव्य दिया और किस सदर्भ मे श्रीमती आल्वा जी ने उसका स्पष्टीकरण किया, मैं इस बात की भी जानकारी करना चाहता हूं ।

इन्ही शब्दो के साथ इस दर्दनाक हत्या का घोर विरोध करते हुए, मैं एकबार फिर माग करता हूं कि जो इस संबंध मे विधेयक पेश किया जाए, वह सर्व-सम्मति से पेश हो और तभी इस देश का कल्याण होगा, इस समाज का कल्याण होगा और रूप कवर वाली घटना तभी इस देश में अंतिम दर्दनाक घटना होगी ।

*SHRIMATI BIJOYA CHAKRAVARTY (Assam): Mr. Vice-Chairman, Sir, this is a matter of great shame that today we are going to step into the 21st century by burning a woman alive. We cannot give protection to women, we cannot look after them, we cannot give them independence but they can be burnt alive.

*English translation of the original speech delivered in Assamese.

On the 4th of September this year Roop Kanwar was burnt alive in Deorala and today we are opening a dead chapter in the Upper House of the country.

In my opinion the Rajasthan Government which remained silent for long twenty days is completely responsible for this murder. I want to put the Rajasthan Government on the dock and I think they are party to the murder of young innocent Roop Kanwar on the 4th of September. We know Mrs. Margaret Alva is trying within her limitations to educate, to awaken social consciousness among uneducated women through help of the social welfare Deptt. for giving protection to harassed women. But what can a single Margaret Alva do? What one Margaret will do if we all and all the menfolk never consider this probem as a human problem? If this matter of murdering women and harassing women is not considered a human problem but a women's problem only, then I am forced to think that there will never be an end to this problem. We see after the murder of Roop Kanwar different newspapers in the country-which have discussed the issues concerning Bofors, Fairfax etc. in details for days—have not published this grave incident of murder adequately. And even in this House, even in this Parliament we are not being vocal in protest against this murder the way we should have been. This is a very sad and shameful act on our part.

There are atrocities on woman even before her birth. Today in the age of science if the foetus is that of a girl then there is no hasitation to murder it by abortion. No parents hesitate to kill the female foetus when detected with the help of advanced method that it is female. This is the situation in our present society. We do not give adequate food to female child, we do not give her any share of property, but we do not hesitate to kill her. We all know that according to Article 51(A) and Article 21 of the Constitution murder in the name of "Sati" is highly condemnable and is a violation of the Constitution. The Constitution has given us right to live. Then who has given the right to burn women, young girls alive? And we are refusing to admit that this

kind of murder is a serious problem. We all consider this "Sati" problem as a problem of women only. We never consider it as a human problem. Apart from this, newly weds are being killed everyday by poisoning or burning but such cases are shown as accidents. Who is keeping account of such cases? According to unofficial report, in the country at least one newly wed woman is murdered daily. In Delhi itself bride-burning is a bi-weekly affair. We all know that in Delhi perhaps two newly married women are killed every week or every other day. We are learning about cases of bride burning everyday in the Newspapers. But how many of us are condemning this? And in the House how many of us have protested against murdering the bride for not bringing enough dowry? Being a member of Parliament I, myself have not raised this question strongly enough in the House. For the sake of property, out of greed, or for not being able to give protection to a woman she is killed after the death of her husband. This killing in the name of "Sati" does not have the religious sanction. If there was sanctity attached to it then Kaushalya, Tara, Kunti would not have remained alive after the death of their husbands. Raja Ram Mohan Roy and Ishwar Chandra Vidyasagar tried to stop the system of "Sati" and start a social revolution about a hundred years ago If we had tried to launch such a movement after hundred years today then in the twentieth century there would not have been any incident of bride burning or "Sati" burning.

The most serious aspect of the matter is that commercial centres have come up at the place where the woman committed "Sati". I think it is worth mentioning that in the "Satisthal" people are running a very lucrative business. Hundreds and thousands of stalls have sprung up there. Within 10 days of the murder of Roop Kanwar thousand stalls have been set up there Clever businessmen have earned thousands of rupees daily by installing shops there. The most serious thing is that after burning one "Sati" if there is a business involving thousands of rupees then businessmen will certainly not hesitate to have a "Sati" in each village to earn huge profits. My point is that no one will ever hesitate, no businessmen will ever hesitate to exploit the system of "Sati" to set up a business centre in each and every village in order to get a very good business and thereby a very good income.

Much has been said on this matter. I do not want to speak much, but I want to say that we all regard Mrs Margaret Alva as a woman of modern outlook. So I hope that she will certainly try to launch a movement involving the whole country in protest against this murder. The practice of bride burning or "Sati" burning cannot be stopped just by enacting some laws if there is no change in the attitude of the people. For this change of attitude we certainly should have a country-wide revolution. And I want our most modern Prime Minister Mr. Rajiv Gandhi to make all out efforts to see that no woman is burnt in the name of "Sati" in the country and that there is no incident of bride burning ever for not bringing enough dowry. I hope and demand that there should be such a law by which those who murder woman in the name of "Sati" and those who burn brides are sentenced to be hanged.

Thank you.

डा० (श्रीमती) सरोजिनी महिषी (कर्णाटक) : उपसभाध्यक्ष महोदय, समय देने के लिए आपका धन्यवाद करती हूं। स्वतंत्रता से पहले, स्वतंत्रता के बाद भी कई सामाजिक कानून इस देश में बन चुके है, लेकिन उन सामाजिक कानूनों का असर क्या हुआ, इसके बारे में भी हमको देखना है। दूध को दही बनाकर उसके साथ पानी मिलकर अगर मंथन करते है तो मक्खन निकलता है, लेकिन सूखे पानी का मंथन करते है तो उसमे से मखन नहीं निकलता है। इसीलिए सामाजिक कानून के साथ अगर सामाजिक प्रक्रिया भी होती है तो उसका नतीजा निकलता है, नहीं तो नतीजा नहीं निकलता है।

अब कई कानून पास करके भी उसका नतीजा जब नही निकलता है, तब उसके बारे मे क्या करना है, इसके

बारे मे तीव्र रूप में सोचना ही पड़ता है। मै मंत्री महोदय, जो उधर बैठे है, उनसे प्रार्थना करती हूं कि इस बारे में भी सोचे कि क्यो हमारे सामाजिक कानून असफल बने है, सफल नही हो सके। चाइल्ड मेरिज रिस्ट्रेण्ड एक्ट आ गया, लेकिन अभी भी राजस्थान में चलता है, जैसा अभी एक महोदय ने कहा कि राजस्थान मे बाल-विवाह निरोधक कानून बनने के बावजूद भी वहां बाल-विवाह हो रहे है। उसी तरह से कास्ट डिजेबिल्टीज रिमूवल एक्ट आ गया, उसके बाद भी, जाति परिवर्तन होने के बाद भी यह चलता रहता है। फिर दहेज निरोधक कानून आ गया, अभी 20 साल पहले की बात है, दहेज निरोधक कानून आ गया। लेकिन आपने देखा, दहेज की प्रथा कहां तक कम हो गयी है? कम नही हुई है, ज्यादा हुई है, अधिक हो गयी है, लेकिन अतर इतना ही हुआ है, छिपे-छिपे आज दहेज लिया जाता है, प्रकट रूप मे नही लिया जाता।

तो इनके द्वारा हमको मालूम हो जाता है कि यह सामाजिक कानून असफल बन गए हैं। इसको सफल बनाने का तरीका कौन सा है, इसके बारे मे हमको विचार करना होगा। इसके साथ ही महोदय यह सती के बारे में मैं कहना चाहूंगी सती एक पुरानी प्रथा है और यह पुरानी प्रथाएं अच्छी होती है ऐसा मानते हैं। लेकिन "पुराणमित्येव न साधु सर्वम्" सारी चीजें अच्छी नही होती है क्योंकि एक ही कारण की वजह से कि वह पुरानी चीज है इसलिए अच्छी है यही कारण नही हो सकता है।

पुराणमित्येव न साधु सर्वम्
न यापि काव्यं नवमित्यवद्यम्।
सन्तः परीक्ष्यान्यतरद् भजन्ते।
मूढ़ः परप्रत्ययनेय बुद्धिः॥

कालिदास ने कहा कि वह एक चीज पुरान है इसी वजह से वह अच्छी नहीं हो सकती। एक चीज नई है, इसी वजह से वह अच्छी नही हो सकती। संत लोग जो है विवेकशाली लोग जो हैं वह विचार-विमर्श करके उसको अपनाते है। बुद्धि मूढ़ बेवकूफ लोग जो है वे अंधे बनकर उसका अनुसरण करते रहते है।

वह कालीदास के जमाने मे भी थे हमारे जमाने मे भी हैं कोई फर्क नही है। इसलिए कालीदास ने उसके बारे मे कहा। तो एक प्रथा ऐसी है, अनिष्टकारी है वह बहुत समय से चली आ रही है इसको लेजिटिमेट करना चाहिए यह गलत बात है। उसको धर्म का कवच पहना कर उसकी बहुत स्तुति करना यह भी गलत बात है। लेकिन मूल इसका कहा रहा, जैसा प्रशात जी ने कहा, मै सुन रही थी, सती, जो दक्ष की पुत्री थी ने अग्नि मे प्रवेश किया, यह प्रथा हो गयी। उस वक्त यह "सती" नाम था, उसने प्रवेश किया। इस बात को लिखा गया, लेकिन परिस्थिति कौन सी थी, इसको नही लिखा गया। महादेव तो मौजूद थे। इसके बावजूद भी उस सती के नाम से यह सतीप्रथा इस तरह से विकृति के रूप में आ गयी है।

धर्म तो सब के उद्धार के लिये होता है। प्राण-मात्र के उद्धार के लिये होता है। उसको ऊपर उठाने के लिये होता। धर्म और उसके बाहर के जो आचरण जो होते है, वह अलग-अलग होते है। धर्म का बाहरी आचरण विकृत रूप मे, कई रूप में आ सकता है, हमारे सामने। सभी धर्मों मे यही हालत हो गयी है। उसमें विकृति आयी है और विकृत रूप हमारे सामने, समाज के सामने आ गया है। मै कई बार सोचती हूं कि एक सजीवता जिसको कहते है, वही विकृत रूप मे हमारे सामने आये, तो क्या हम उसको धर्म की सजीवता कहें? तो धर्म का सत्व अलग है, तत्व अलग है। लेकिन उसके विकृत रूप, बाहर आचरण जो होते हैं वे कई बार देश और काल के अनुसार बदलते रहते है।

[उपसभाध्यक्ष महोदया पीठासीन हुई]

यह पुराने समय से चल आ रहे है। इसलिये यह धर्म का एक हिस्सा है, इस तरह समझ लेना बहुत अलग बात है। लेकिन कितने लोग इसके बारे मे सोच सकते है। एक धार्मिक विधि के रूप मे उसको सामने

[डा० (श्रीमति) सरोजिनी महिषि]

लाकर, उसको व्यवहार मे लेकर अगर कोई उससे इज्जत और पैसा कमा सकते है या स्थान प्राप्त कर सकते है तो क्यो न करे? लेकिन यह गलत बात है ? इसके बारे मे हमको जरूर सोचना है । धर्म की व्याख्या बहुत ही लम्बी और व्यापक है । श्रुतिः स्मृतिः सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः सम्यक सकल्पतः कामो धर्ममूलमिद स्मृतम । यह सभी धर्म के मूल हो सकते है और सज्जनों के लिये तो अच्छा विचार है, लेकिन इसमे सज्जन कोई है ही नही क्या ? लेकिन वह अपने को प्रकट नही कर पाते है । हिम्मत से बोल नही सकते है । क्योकि वातावरण अच्छा नही है । मैने अखबारों मे पढ़ा चुनरी महोत्सव के बारे मे । महोत्सव कहने के लिये मै तैयार नही हूं, लेकिन उसमे यह शब्द इस्तेमाल किया गया है। वह तथाकथित था । उसमें जाने के लिये लोग तडपते रहे थे । अलग-अलग रास्ते बन गये थे । वीवीआईपीज के लिये अलग रास्ता बन गया था । एक संवाददाता गये तो उनको कहा गया कि आप इस रास्ते से नही जा सकते है, यह रास्ता वीवीआईपीज के लिये है इसलिये हमको सोचना है कि अगर सब सम्मिलित हो जाते है तो क्या गौरव प्राप्त होता है? बात यह है कि कि लहर जो चल रही है, उसके खिलाफ जाने के लिये कोई तैयार नही है । सामाजिक लहर अंध श्रद्धा की लहर जो चल रही है, उसके खिलाफ जाने के लिये तैयार नही है । उसके लिये एक राजा राम मोहन राय की जरूरत है । उसके लिये विलियम बैंटिंग की जरूरत है । उसने भी काफी मदद की सती प्रथा को रोकने मे । उपसभापति महोदया, राजा राम मोहन राय के भाई की मृत्यु हो गयी । उस वक्त वह बहुत छोटी थी । लेकिन उसको कुछ गुडे लोगो ने भीतर से पकडकर, घसीटा और चिता पर रख दिया । वह जल रही थी, चिल्ला रही थी और चिता से उठकर दौड़ रही थी तब भी लोगो ने उसको पकड़ा और उसके हाथ पैर बांधकर फिर ले जाकर चिता पर रख दिया । उसको देखकर राजा राममोहन राय ने सोचा कि मेरी जिन्दगी तो सती प्रथा को खत्म करने के लिये होगी । वह राजा नही थे । राजा का टायटिल उनको दिया गया था । दिल्ली की सरकार ने सोचा कि जब तक यह राजा नही बनते है जब तक ब्रिटिश लोग इसके साथ बातचीत नही करे । ऐसा सोचकर उसको एक राजा का टायटिल दिया और इग्लैड भेज दिया सती प्रथा का अन्त करने के लिये । राजा राममोहन राय जी के जीवन मे इस घटना को देखकर बड़ी निराशा हुई । उन्होंने सोचा स्त्री जाति का किस तरह से शोषण होता है । उसका विनाश हो रहा है । इसका अन्त करने के लिये हम क्या करे ? लेकिन सती प्रथा को हम एक ही प्रत्येकता मे देखे या सारे कानून के एक दायरे में देखें, इसके बारे मे भी हमे जरूर सोचना है । जब लड़की का जन्म होता है तो उसका उत्साह से स्वागत नही किया जाता, लेकिन जब लड़के का जन्म होता है तो बड़े उत्साह से, बडी उमंग से उस का स्वागत किया जाता है । क्यों इसके पीछे क्या है ? बेटा तो पितरो को स्वर्ग मे भिजवायेगा लेकिन बेटी नही भिजवा सकती है । पुत्र श्राद करेगा लेकिन उन्नाम नरका त्राइसी इति पुत्रः - पुत्री नर्क से उसको पार नही कर सकती है लेकिन पुत्र कर सकता है । कानून का मूल्य ऐसा है । इसी सदन में हमने मुस्लिम मेरिड वूमेम प्रोटेक्सन बिल पास करवाया । सभी धर्मो में विकृति इस ढंग मे आ गयी हैं । स्त्री को नगण्य समझकर उसका शोषण किया जाता है । यह सदियो से आ रही है, इस लिये वह बहुत अच्छी है यह बात नही लिये वह बहुत अच्छी है यह बात नही हो सकती है । सदियो से स्त्र शोषण की वस्तु बन गय है । पता नही यह सब कब बदलेगा । उपसभापति महोदया, आप इसी सदन मे देखती है कि 25 प्रतिशत महिलायें भी इस देश के प्रतिनिधि के रूप में यहाँ मौजूद नहीं है । 25 प्रतिशत भी इधर नही बैठे है, फिर इसके बावजूद भी जो कुछ विचार चलते हैं, जो कुछ प्रथायें चलती हैं, कुरूप प्रथायें चलती रही है, उनके बारे में आज हम राजा राम मोहन राय को ढूंढ रहे है, इस सदन मे ढूंढे या उस सदन में ढूंढे पता नही, लेकिन हम ढूंढ रहे है । असल बात यह है कि सती स्त्री को होना चाहिये, उसे पति की चिता पर जलना चाहिए । यह किसने किया, कौन इसको लाया ? यह किसी एक प्रथा

के रूप में, कस्टम के रूप में कैसे आ गया?

शास्त्रोः रूढ़िर्बलियसीः ।

रूढ़ि अच्छी हो, अधिक प्रबल हो लेकिन अनिष्ट रूढ़ि प्रबल नहीं हो सकती । अनिष्ट रूढ़ि को प्रबल कैसे कर सकते हैं । कहीं भी यह नहीं कहा गया है विधवा को, सती को जलाना चाहिये । यदि पुत्रवधू है, वह दहेज नहीं लाती है तो उसको जलाकर मार दो यह कहा कहा गया है ? सब कुछ शोषण के लिए महिला है क्योंकि वह बेकार है, वह दुर्बल है अबला कही जाती है । किसने यह ढूढा कि शारीरिक बल उसके पास कम है इस की वजह से वह मारी जाती है, उसके साथ किसी भी ढंग से व्यवहार किया जा सकता है, लेकिन फिर भी आपकी इज्जत बच जाती है और उसकी इज्जत नही बचती । इस तरह की देश मे प्रथा हो गई है । महोदया, याज्ञवल्क में कहा गया है कि अगर पति मर जाता है तो महिला को पुनर्विवाह करने का अधिकार है । यदि उसका पति मर जाय, नष्ट हो जाय, सन्यासी हो जाय, नपुंसक हो जाये या पति लोगो की नजरों में गिरा हुआ हो जाये, पतित हो जाये तो इन पाच अवस्थाओं में पति के जीते हुये भी दूसरा शादी कर सकती है । लेकिन विवाह न करना इज्जत का संकेत माना गया क्योंकि स्वार्थी लोगो ने उसको घर मे रख दिया, उसको डोमेस्टिक सर्वेन्ट नही मिलता है तो काम करने के लिए उसको घर में रख दिया । आज भी उस की हैसियत कुछ भी नही है, घरेलू नौकर की है । कुछ लोगों ने रूप कवर के सती होने के बाद पूछा कि अगर वह विधवा जिन्दा रहती तो क्या हालत होती? कुछ औरतों ने कहा मर गई, बड़ा अच्छा किया, नहीं तो वैश्या की तरह परिवार के लोगों की सेवा करनी पड़ती है, डोमेस्टिक सर्वेन्ट की भाति उनकी सेवा करनी पड़ती है, निःशुल्क सेवा करना पड़ती है । उसको पता भी नही है कि उसकी सामाजिक स्थिति क्या है । वह शुभ भी नही मानी जाती है । जहां भी जाती है अपशकुन होता है तो जिन्दा रहकर वह क्या करे? तो हमे इसके बारे में सोचना है अगर एक विधवा है परित्यक्ता है इस तरह की कोई उपेक्षित और अलक्षित महिला है उसके बारे में हम क्या कर सकते है उसको रिहैबिलिटेट करने के लिए हमारे पास क्या सुविधाएं हैं, हम किस ढंग से उसको पुरस्थापित कर सकते हैं । उसकी हालत तो बोंडेड लेबर की तरह हो गई । तो क्या ऐसी महिलाओं को हम कोई दूसरा रास्ता दिखा सकते है क्या? उन विधवाओं के मन मे यह विचार आना चाहिए कि हम किसी से कम नही हैं हम भी सेवा कर सकते हैं, हमें भी जीने का अधिकार है और सशक्त रूप में हम जिन्दा रह सकते है । पति का मर जाना यह कोई कमी नहीं है यह बद किस्मती नही है कि पति मर गया लेकिन फिर उसको दुख हो जाता है, यह स्वाभाविक है । किन्तु समाज मे फिर उसको पुरस्थापित करने के लिए हम उसको क्या सहूलियतें दे सकते हैं । पूरे कानून के दायरे में इस को रखकर देखना चाहिए कि स्त्री के स्थान को ऊंचा उठाने के लिए, उस के मन मे कि मै भी एक मनुष्य हूं इस तरह की भावना उत्पन्न करने के लिए हमने क्या किया है स्त्री अगर देवी बन जाती है, पत्थर की मूर्ति बन जाती है मन्दिर में तो उसकी पूजा होती है । अगर वह जिंदा रहती है तो उसकी हत्या होती है । यानी सती बनने से उसकी पूजा होती है और जिंदा रहने से उसकी अवहेलना होती है । यह एक बड़ा फर्क है, एक बड़ा अन्तर है इस अन्तर को पूरा करने के लिए, इस अन्तर को तोडने के लिए हम क्या कर सकते है? यह बहुत बडी बात है इस पर हमें सोचना चाहिए ।

आज यह रूप कंवर की बात आ गयी और कल कोई और बात आयेगी । ऐसा पूरा देश में अभी चल रहा है और चलता रहेगा । इसके लिए एक आंदोलन की जरूरत है । कानून आप लाते है । राजस्थान सरकार कानून लाने की सोच रही है । नहीं भी सोचती तो क्या है । मुख्य मंत्री की बीवी वहां जलने वाली नहीं थी । हां छोटी-छोटी बातें हैं । लोग लहरों के साथ बह जाना चाहते है । लहरों के खिलाफ कोई नही जाना चाहता ।

[डा० (श्रीमती) सरोजिनी महिषी]

It requires a live fish to go against the tide. Any piece of log can go down along with the tide. एक छोटी लकड़ी बह जाती है लहर के साथ लेकिन जिंदा मछली की जरूरत होती है लहर के खिलाफ बह जाने के लिए । हमने पूरा देख लिया है : पुतरे प्रधान कुटुम्बकम् पद्धति । पुत्र को मान्यता दी हुई है चाहे वह किसी किस्म का पुत्र हो। सुपुत्र हो, अपने पेट से पैदा हुआ हो, दत्तक पुत्र हो, क्रीत पुत्र हो यानी खरीदा गया पुत्र हो, कृत्रिम ढंग से पैदा हुआ पुत्र हो यानी आर्टीफिशियल ढंग से पैदा हुआ पुत्र हो, कंसील्ड-वे में, छिप-छिप कर जिसका जन्म हुआ हो वह पुत्र हो, या स्कैण्डल्स-वे में पैदा हुआ पुत्र हो, निन्दा के साथ पैदा हुआ पुत्र हो, कैसा भी पुत्र हो वह नरक से अपने पितृ लोक को पार कराता है लेकिन बुद्धिमान और अकलमंद लड़की का कोई स्थान नहीं है भले ही अपने घर में पैदा हुई हो । स्त्री की वत्सलशीलता कहां तक है ? इसी को हम पुरानी प्रथा मानते है । जो बंधु यहां बैठे हुए है उनके खिलाफ नहीं बोल रही हूं । (व्यवधान)

माननीय सदस्य : आप से सहमत है।

THE DEPUTY CHAIRMAN: They are supporting you.

डा० (श्रीमति) सरोजिनी महिषी : यह तो अरिचयिता नही है, पढ़ते है। History makers are different, history writers are different, history readers are different. हिस्ट्री मेकर इसको विकृत रूप में ले गये हैं। औरस, दत्तक, कृत्रिम, गूढ़, अपविद्ध, क्रीत आदि 12 किस्म के लड़कों को मान्यता मिली है लेकिन लड़की को नहीं मिली है। वेद में कहा गया है : पुत्रेन लडका और लड़की, बेटा और बेटी दोनों में फर्क नही है । लेकिन आज वेदाचार्यों ने कहा कि यह बात गलत है । फर्क जरूर है । अगर फर्क नहीं होता तो दाल नही गलती । इसलिए बेटी को अलग करके घर से भगाना है । 8 साल में उसकी शादी हो जाती है । 14 पीढी के पित नरक लोक से स्वर्ग लोक में ट्रांसफर हो जाते है । वर्तमान रूप में इसकी पारिभाषा करके स्त्री की हालत, महिला की हालत, बेटी की हालत, लड़की की हालत खराब कर दी है । हमे कानून के पूरे दायरे में रखकर इसे सोचना चाहिए। कानून में एक टुकडा है, प्रिवेंशन एक्ट मे कि दो शादी नहीं कर सकता । एक तो कानून के साथ है और दूसरा कानून के बाहर । कौन क्या कर सकता है यह आप जानते है । बहुपतित्व है तो बहुपत्नीत्व क्यो नही हो । मैं बताना चाहती हूं कि कानून को तोड़ने वालो मे पुरुषों की संख्या अधिक ही है महिलाओं की संख्या से । मैं यह नही कहती कि तोडने वाली हैं ही नही । है, लेकिन सख्या कम है । यह भी बता दूं कि एक किस्म की जो प्रथा होती है वह कन्वेंशन बनती जाती है । अच्छी कन्वेंशन हो तो लेना भी चाहिए । बुरी कन्वेंशन हो तो उसको छोड़ना भी चाहिए । कन्वेंशन अनिष्ट होता है तो उसको नही मानना चाहिए और जब अनिष्ट न हो तो मान लेना चाहिए । हमे एक प्रार्थना करनी है कि इसको पूरे दायरे मे रखकर , कानून के दायरे में रखकर इसके बारे में सोचा जाए । एक टुकडा कानून का इधर हो और दूसरा टुकड़ा उधर हो तो उसमें कोआर्डिनेशन नही हो पाता । दूसरी बात यह है कि लोगों में जब तक यह प्रज्ञा नहीं आती है तथा इसके बारे में अवेकनिंग नही आती है तब तक कोई भी सामाजिक कानून काम नहीं कर सकता है, कोई काम नही हो सकता है। इसलिये मुझे सदन के सामने यह बात रखनी है कि राजस्थान में एक विकृति के रूप में इस तरह की प्रथा आ चुकी है । इसी तरह से दूसरे प्रान्तों में भी दूसरे ढंग से कुछ प्रथाये आ चुकी है । सभी प्रान्तो में किसी न किसी ढंग से इस तरह की प्रथायें आ चुकी हैं । इसलिये एक आन्दोलन के रूप में भी इसका मुकाबला करना है। इसके लिये जो आर्गनाइजेशस है, महिलाओं के भी होते है और पुरुषों के भी होते है, वालंटरी आर्गनाइजेशन उनको आगे आना होगा । जिस तरह से राजा राममोहन राय के मन में एक संवेदना पैदा हुई और उन्होंने

सोचा कि इसका अंत करना ही चाहिए उसी ढंग से एक वेदना जब तक पैदा नहीं होती हमारे दिलों में कि किसी न किसी तरह इस कुप्रथा को बंद होना चाहिए तब तक इस प्रथा का अंत नहीं हो सकता।

एक बात और है कि इस कुप्रथा का फायदा उठाने वाले लोगों की संख्या भी कम नहीं है। इसलिये उन लोगों को हम फायदा उठाने का मौका न दें। हम इस ढंग से इसके बारे में सोचें तभी हम ऐसी आशा कर सकते हैं। मैं इस सदन के सामने यह भी रखती हूं कि यदि आप पूरी तरह से इस कुप्रथा का अंत करने का साहस करते हैं और इसमें सफल होते हैं तो आप अवश्य ही एक इतिहास बना सकते है और इतिहास का एक बहुत बड़ा पन्ना आप लिख सकते हैं। धन्यवाद।

SHRIMATI MARGARET ALVA : Madam, Deputy Chairman, I think, this is one subject on which there has been total *unanimity* and equal expression of anger and despair from all sides of the House irrespective of whether they have been women speakers or men, whether they have been on the Government side or in the Opposition. I may also add, "Irrespective of the age group to which they have belonged".

SHRI SATYA PRAKASH MALAVIYA: Married or bachelors also.

SHRIMATI MARGARET ALVA Everybody, whether married or unmarried. I do realise that this is a question on which I cannot come out with a solution, with a blueprint for solving the problem. I bow my head in shame with millions of others in the country that an incident like this could have taken place at a time, in an age and in a country which boasts itself of great traditions and its great civilisation.

I am not standing to defend anybody because this is an incident, this is a crime not only against women but against all humanity. Therefore, what I say is just placing of facts before you with the request that you try to understand and with a request that we come to a consensus on this matter so that together we can perhaps ensure that there will never be another incident like this for us to talk about.

Madam, the facts are known. Roop Kanwar was a 18-year-old girl married on the 17th January, 1987 to Mal Singh who was 22 years old. He died in the Sikar Hospital on the 4th of September, 1987 at 6.15 A.M. in the morning, of what has been reported to be gas tro-enteritis. The dead body of the diseased was taken to his village, Deorala, which reached there at about 10.00 A.M. His wife, Roop Kanwar, was also brought to the house. Her in laws and relatives did not inform the police and secretly made preparations for the cremation of the deceased and the *sati* of Roop Kanwar. Not only was it kept a closely guarded secret by the in-laws, but even her family and parents were not informed. The entire plan of the cremation was hurriedly pushed through. At about 12 NOON the funeral procession was taken out fro mthe house His wife that is Roop Kanwar, also accompanied the procession. It reached the cremation ground at around 1 00 P.M. and immediately thereafter the crime was committed. The pyre was lit by her brother-in-law, Pushpendra Singh. The fact is that this incident took place with at least, it is said, 100 to 200 eye-witnesses standing by and watching the great human sacrifice. The police authorities had not reached the spot. The fact is that someone from the village known as Local Girdawar, had cycled immediately on getting the news to the nearest police station to inform the head constable incharge at the Ajitgarh police outpost which is seven k.m. away. He reached there at about 2.30 P.M. and the head constable rushed to the village in a private vehicle which was available and at the same time, despatched another messenger in another vehicle to the police station at Koy to inform the officer-incharge but by the time, they could reach the spot, the incident had occured I mean the crime had already been committed and there was no Roop Kanwar to be rescued. I would

[Shrimati Margaret Alva]

like to say that there have been comments, there have been criticisms and an enquiry has been ordered by the State Government to look into whther there had been lapses in the local administration and why there had been this much of time lag between the persons leaving the village and the police reaching and to really see whether there had been any laps on the part of the administration . (*Interruptions*).

SHRIMATI KANAK MUKHERJEE (West Bengal): Actually, the journalists group which went there, they reported that the incident took place at 3.30 P.M.

SHRIMATI MARGARET ALVA. Journalists may say but this is the police report, from the police register, which has been reported. which I am getting you the information from. There is an enquiry to check up all this. Different facts may come out. (*Interruptions*)

SHRI GURUDAS DAS GUPTA (West Bengal): Who is conducting the enquiry? Is it the same people who are accused of connivance?

SHRIMATI MARGARET ALVA : I will give you the name. He is a senior officer, Mr. Tej Kumar, Commissioner and Secretary to Government, Revenue Department, Rajasthan, Jaipur, a very senior officer, who was not, in any case, involved in this and I would also like to tell you that the Rajasthan Government immediately transferred the Collector and the other officers who had been on the site so that the enquiry can go on without anybody interfering with the collection of evidence as far as the investigation is concerned. (*Interruption*)

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: Why there can't be a judicial enquiry there?

SHRIMATI MARGARET ALVA: Well, the matter is already pending in the the court. (*Interruption*)

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: That is true. But there have been instances . (*Interruptions*)

THE DEPUTY CHAIRMAN. No, no, let her complete her reply. You can ask afterwards. Now, let her complete her reply.

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: Madam, she has yielded. (*Interruption*).

SHRIMATI MARGARET ALVA: Let me tell you. I cannot make it a question and answer session because I do not have the type of expertise to answer everything on everything from the statement (*Interruption*)

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: Madam, my simple question is, there have been instances.. (*Interruption*). She has yielded.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Gurudas Das Gupta, you please listen. She is giving the full facts and if you want anything more, let her first finish her reply and then you can ask. But you cannot interrupt like that.

SHRIMATI MARGARET ALVA: I have not come here to hide anything. I have come to appeal to all of you that you should join hands with us in seeing how we can see so that this does not happen again. If you have suggestions, I will accept them in all humility. (*Interruption*). Madam, two statements have been made in the course of the discussion. One is that the State Home Minister had made some statement justifying this Since you are quoting newspapers, I am also quoting a newspaper for you because otherwise, you will say, this is a Government statement. This is dated 15th September itself. When contacted by this correspondent, Mr. Gulab Singh, the Home Minister said, "the Government will comply with the orders of the court and will not let any public function to be held on the spot". This is after the incident for the *Chunri* ceremony He said, "the Government will take all necessary steps like stopping the plying of public and private buses, make arrangement to prevent people from gathering at the spot and persuade the people from he neighbouring areas not to gather there. The Government will

The statement of the Chief Minister also condemning the incident has been quoted by the Press. I am not saying that everything was done. Perhaps, more should have been done and more could have been done. Somebody said, you should have fired at the crowd. Someone else said, well, you should have done something else. My simple point is that the Government made an effort to carry out the orders of the court and to prevent this ceremony. I am glad that the hon. Members have not called it a ceremony I would not call it a ceremony but to stop this *mela* or this kind of disgraceful celebration of the event as it were that was being planned for the 13th day. But it has been clarified and I wish to state it here also, at that time, this offence came under the Criminal Procedure Code and I will come to that. There was no Ordinance, there was no separate law preventing the glorification or any sort of ceremony which followed the incident. It could have been charged as either suicide or if it was forced, as murder or it is an abetment to suicide or abetment to murder. There was no Ordinance, there was no law under which what followed could have been under the law prevented, a 13th day ceremony for a woman who is dead Whatever may be the background of it they said it is the right of a family to perform the last ceremony and if instead of 20 people of the family or 100 people like it happens in our families, you have 2 lakh people, who collect, far beyond the expectation of the local administration, then you were faced with a situation in which you could have and which some of you say, you should have fired at the crowd, unarmed, probably, gullible, uneducated villagers, who came because they believed something of religious significance had taken place because that was what they thought. Now, my point is if we had shot into that crowd, you would have had, perhaps, many many martyrs who would have been hailed as people who died for the cause for which this woman had died. After all, there are certain situations which are beyond the control and I have quoted and I may tell you yes, I did say that I spoke to the Chief Minister when all these reports came and I have brought with me a file of telegrams, letters and resolutions which I have received right after the incident. I was in touch and I sent telegrams to the University of Rajasthan, to women groups, to everybody I could think including being in touch with the Chief Minister and I said, please see that the ceremony does not take place. I must say in all honesty that they told me that we are taking all necessary steps to see that the crowd does not collect but in spite of the buses being withdrawn, in spite of there being no Government support, if people walked and if people came on their own many many more than was expected, then it was really a difficult situation. There was a situation in which the Government had to face a particular local situation and react to it as they thought fit at that particular time. I said it at that moment also that I did think, they would stop them but they were not able to stop it. I am not saying that the ceremony should have taken place or not But the Government, at that time, was not legally armed with an Ordinance or with legal provisions to prevent a religious ceremony which was being held by the two families to mark the death on the 13th day ceremony of both the husband and the wife. (*Interruption*).

SHRI NIRMAL CHATTERJEE (West Bengal) Madam, does it show that the Government really acted?

SHRIMATI MARGARET ALVA: I believe, they did what was possible in those circumstances and everybody says, we did not see. I have seen the reports in the press. I also read the newspapers as carefully as you. (*Interruptions*).

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: You are holding a brief for the Government of Rajasthan.

SHRIMATI MARGARET ALVA: I am not saying the incident was right.

(*Interruption*)

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: Your statement goes contrary to the statement you are making here.

SHRIMATI MARGARET ALVA: Mr. Gurudas Das Gupta, I have since visited Jaipur, I have sat in meetings, I have met people. I was upset with the ceremony like all of you are. I am still upset. What I am saying is that it was suggested that we should have brought the army and fired at the crowd of 2 lakh people I am not talking about that. I am talking about trying to carry these people with you and prevent it. I do not want to start another movement which will again have counter effect. This is my point and I am not saying as I said, may be, more could have been done. I am not saying now But I can tell you. . *(Interruption)*

SHRI GURUDAS DAS GUPTA Are you satisfied with the work of the Rajasthan Government? I ask you pointedly, are you satisfied with the work the Rajasthan Government has done?

SHRIMATI MARGARET ALVA: I said at the beginning that I am not defending anybody and not going to defend anybody. *(Interruptions)* I will answer every question. *(Interruptions)*

SHRI GURUDAS DAS GUPTA Are you satisfied ? *(Interruptions)*

SHRIMATI MARGARET ALVA: I am not here to *(Interruptions)*

SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN (Tamil Nadu) Madam, we want to hear the Minister without being interrupted. We seek your protection It is all right once It cannot go on

THE DEPUTY CHAIRMAN: I have already asked Mr. Das Gupta not to interfere and ask any question only after she finishes *(Interruptions)*

SHRIMATI MARGARET ALVA You please listen to the whole thing and I will show you how we have acted This is a question on which there are no two opinions between tse Government and the Opposition

SHRI NIRMAL CHATTERJEE· It is an objection in the sense that you should describe how they acted.

THE DEPUTY CHAIRMAN. Mr Chatterjee without permission you should not interfere like that. There should be perfect order in the House when the Minister is replying. A serious issue is being discussed. Do not try to dilute it.

SHRIMATI MARGARET ALVA: As far as the statistics are concerned, I want to point out that since 1955 there have been 16 cases which have not really even reached the national eye. 16 have died and five were prevented in the sense that the police intervened and stopped them The figure with us is 21, either attempts of *Sati* or *Sati* taking place, in different parts of Rajasthan and in these, Sikar accounts for seven which is revealing in that particular district certainly requires much more attention now by way of preventive meassures which are being worked out Madam, I would also like to point out that out of these 16 cases, only one has ended in conviction Three of the cases are pending in the courts and the last one was under investigation and has just reached the Court. *(Interruptions)* The punishment in case of conviction is five years' imprisonment. Here, I am coming to the loopholes which have existed. There have been provisions pointed out under the Indian Penal Code which do not give sufficient powers either to the local administration or to the people involved to take the necessary steps after the incident has taken place except to register a case and record evidence of witnesses It is impossible that a local witness will come and say, "I watched it". Because of these, all the cases are falling through and there had been no conviction *(Interruptions)* In spite of the Government machinery being withdrawn people collected It is not true to say that there was no police There were plain-clothes policemen deputed. But in spite of that, two lakhs some say more than that, had collected They could not just disperse them without creating a law and order situation Madam, all sections have condemned what has happened including the Government of Rajasthan, the people at the Centre and everybody who was, in any way, in a responsible position But I would like to point out here this For

instance, you have the Hindu Maha Sabha Vice President Mr. Indrasen Sharma, who speaks—and this question was raised yesterday—that the bond of marriage goes beyond death and therefore, the wife must burn on the husband's pyre and commit *Sati*. This was also raised by Mr. Vajpayee. I wish he was here. I do not know why men also should not honour that bond and go to the funeral pyre of their wives. (*Interruptions*)

SHRI VITHALRAO MADHAVRAO JADHAV (Maharashtra): For husband and wife who remarry what is the bond? My point is that if this is the religious interpretation, then I believe that men should honour that bond and be prepared to make the same sacrifice. Unfortunately women who have always been termed the weaker sex in this country are the ones who have had to show courage in such moments and submit to an inhuman society.

As I said earlier, the provisions of Sections 306 and 309 of the Indian Penal Code are the only ones which have dealt with the subject. But now there is a very strong feeling that just a State law which has been passed yesterday—the Rajasthan Ordinance has now been passed—is not enough I believe and a statement has already been made on the floor of the House that the Central Government feels that there is need for a much more stringent law at the national level and the commitment has already been made that we would be coming forward with a legislation to prevent not only this crime but also its glorification in all forms—building of temples of worship, collection of money, property and so on—on an all-India basis, and it would come. I would like to give you here a few of the salient features in it. Such a law would cover matters of substance including a deterrent punishment for glorification of *sati*, confiscation of funds and property collected or acquired for the purpose of glorification, prevention of construction of temples or other structures for glorification of *sati*, casting of obligation on officials of the Government for report about the commission of offence and prescribing minimum punishment for offences, etc The question whether a suitable provision could be made in the election law will also be gone into. One suggestion has been made in the Consultative Committee meeting The proposed law will also cover procedural matters including creation of special courts, shifting of the burden of proof on the accused and simplification of procedures with special public prosecutors to be appointed, etc These are some of the salient features.

SHRI GHULAM RASOOL MATTO (Jammu and Kashmir): Just one small point, if you would kindly yield. There is one point with regard to glorification of *sati*. I have read in the newspapers and that point should also be taken into consideration while framing the law, that in Deorala a temple was to be erected at the place where the incident took place (*Interruption*)

SHRIMATI MARGARET ALVA: I would like to say that in Deorala no temple has been built. All that is there is that little pyre which was constructed for that particular day. But there was something which came up in Jaipur which was immediately demolished and has not been allowed to stand. You would have also seen reports after this was done, that a statement was made that this monument would be shifted to Ranchi or taken to another State Now, to avoid this kind of a running battle the Central law will look after all such plans and programmes which they may have.

Then, there are two or three points which have been raised in the debate. There has been a consensus on almost all the points but there was one point made that this Ordinance is useless, that this law is useless because it has no retrospective effect. In such matters in criminal law there cannot be retrospective effect and you cannot ask that what had happened should be tried under the new law which has come in now But, as I said, our aim is to see that this will never, never, again happen and for that we are bringing a legislation. A question was raised about protection to those who have opposed *sati* or those who have appeared in courts for women's organisations or others who have been threatened I have been there personally in Jaipur and necessary protection to these

[Shrimati Margaret Alva]

people has been guaranteed and arrangements have been made to see that they are not threatened or in any way attacked. As far as demolition is concerned, I have mentioned already structures which came up have not been allowed to stay. And Madam, those who were at the rallies after the Ordinance, those who have spoken at the rallies and those who have tried to justify it have been arrested already. I may tell you that fourteen cases have been registered in different parts of the State and eight cases have been filed in the court against those who spoke in the rallies justifying what had happened and cases have been filed against 33 persons under section 302 IPC The cases are pending in the court and co, I Will not go into further details about them. All the Collectors have been asked by the State Government to issue prohibitory orders against *pro-sati* rallies and glorification now that the law has been passed.

There is one point which I want to make here. There seems to have been some misquoting of the statement which I made in Jaipur where I called for a movement for the rehablitation of widows in the country I did speak to the women there and I said that there was no point passing laws or having ordinances unless we launched a movement for the welfare and rehabilitation of widows and I suggested, because I had had a meeting with the State Government officials, that the ideal place to start that would be Deorala with an *ashram*-kind of thing where widows could take refuge and I said that a training centre to train them from employment and other productive activity could be attached to it so that they could some there Somebody in the audience asked: "Why in Deorala? Why not in Jaipur?'. I said "Well Deorala has acquired a certain significance because of this coldblooded murder." But what has been reported is that I have announced an ash*ram* at Deorala in memory of Roop Kanwar as if I was asking for having a monument there in memory of Roop Kanwar! You see, this is the way things get reported and they get reported in a way which makes a mockery of whatever you speak or whatever you try to do.

SHRIMATI KANAK MUKHERJEE: Why an *ashram?* Why do you want to have an *ashrom*-type thing?

SHRIMATI MARGARET ALVA: We are talking about widows and I am not talking of them as destitute women because I do not like calling these women destitute because they are not destitutes, but they are women who need to be given a place of honour and, given the local traditions, women would come to a place which would be acceptable to the local community where they can live in honour. I do not want to have a Brindavan-type institution where they could come and beg for the rest of their lives or go somewhere else. I think the local community has to be made to let their women live in honour after the trauma that they go through.

Madam, I would like to say that the question of rehabilitation has been raised and the question of property rights was raised repeatedly. I may point out historically what has happened. I am not against property rights for women, I am one of those who have been fighting for it. It has been pointed out that the large number of *sati incidents* in Bengal between 1680 and 1830 was because of the Dayabaga system of law which provided for inheritance rights to widows So, rather than giving them the property which was left by their husbands, they preferred to compel or pressurise the widows to commit *sati* so that the property was safe in their hands! And, Madam, it has been pointed out rightly, therefore, that it was a reaction to this that women from Bengal began, after becoming widows, to come to Brindavan and the largest number of widows who could be found in Brindavan were from Bengal because they did not want to be burnt and they had no property left after their husbands died. Everytime a legislation comes to help the women, society seems to find another way by which those benefits can be taken away from our women Therefore, just a legislation alone is not enough as the last speaker said—she is not here now—and she said that it is not a question of having a legislation or saying that we will do something and the minimum that can be done is giving education. It was repea-

tedly said in 'Lord Bentinck's minutes, if you like to read those minutes, that with education things will change. But you take the case of dowry. We have legislation and we have done everything possible. Education is there But the more highly educated a young man is, the bigger the price or dowry is which is demanded by him for the marriage . (*Interruptions*) . . Somebody said that am IAS man has the highest price But I can say that a foreign-returned engineer or a doctor or a scientist or somebody with a green card in the United States has been found to be having a higher price with the result that it is almost as if our men were on sale for a price in the marriage market, depending on their educational qualifications Politicians, they say, have very low price on their heads. (*Interruptions*) No. I tell you why : because more than the MPs', Ministers', ours, is the most insecured job. (*Interruptions*) I am in the same category as fas as politicians are concerned.

(*Interruptions*)

SHRI JAGESH DESAI (Maharashtra): On a point of information In my community there is no dowry at the time of marriage On the contrary, the bride is given what is called 'Palla'.

SHRIMATI MARGARET ALVA: So, you have a lot of proposals. (*Interruptions*) Now, Madam, I would also like to inform the House that the Rajasthan Government has taken immediate steps as far as the issue of rehabilitation of widows is concerned They have already announced that the age bar for employment in the State Government for widows and divorced women has been removed so that women can join Government service at any time now if they have to And they also need outcome through Employment Exchanges so that the employment can be guaranteed much faster

SHRI NIRMAL CHATTERJEE: They should be given 'Bharat Ratna' for all these activities.

SHRIMATI MARGARET ALVA: This has been done in Rajasthan. I may also tell the hon Members that I have addressed letters to the Chief Ministers of all the States and given them this Order copy and have urged upon them to do the same in their own States I only hope that the Members of this House will assert their influence with the State Governments and see that the same orders are also passed in their States.

THE DEPUTY CHAIRMAN: They should also reserve some posts for them.

SHRIMATI MARGARET ALVA: Madam, in my own Department we are considering the possibility of reserving a certain percentage of accommodation in the Working Women's Hostels for widows with young children, if they have any, even if they have no jobs Up to now we are only accommodating women with jobs there This has been done so that here is immediately a temporary place where she can be accommodated if she needs assistance

Well, I think I have answered all the points that have been made in the House. I would finally come to the need of appealing to all parties and sections to make this a national issue rather than a State issue or a party issue. Yesterday also there was a bit of give-and-take between the two sides. I do appreciate Mr Gurupadaswamy when he said that they condemned what Mr. Kalvi did, who is shown here waving to the *pro-sati* rally from the window on the front page. I know the woman themselves in the party are very much agitated and they were demanding that he should not be allowed to continue with this kind of activity. Even when I was in Jaipur all the parties felt that there has to be a common stand. But you cannot have the national leadership say something condemning it and the leaders of political parties locally, as I said yesterday, taking a different stand. This, as I said, is not a State issue or a local issue We have all been agitated: But let all our efforts not end in anger or any accusations of each other So I am appealing, not just as a Minister for Women but as a citizen of this country, that we join hands and we ensure that our women are given a better place, a better position and the right to live in honour whether she is married, unmarried or a widow. They talk of the wife going up to the funeral pyre with the husband. Has anybody asked what would happen to the children, minor or

[Shrimati Margaret Alva]

otherwise? They are orphaned and left to the mercy of others and probably turned into some kind of domestic servants in a house because both their parents are gone and nobody wants to give them the property of the father left behind. What is the fate of these children? There are customs as was stated which are out-moded, which cannot be justified and which must be condemned by alll of us. Let us not take protection behind caste, community, religion and whatever other justification that might be put-forth by those who think that they are leaders—religious or social or something else. Let us stand together, let us condemn it like we have done But more than that, let us have the courage to go out of this House and join the movement for stopping this practice and for ensuring that no more women in this country will burn simply because they are women. I thank you, Madam.

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: Madam, my point is very simple M|s Margaret Alva had spoken to the Chief Minister of Rajasthan and she had asked that arrangements may be made to stop the so-called *Chunri Mahotsav*. And she admits it here. I am given to understand that the Chief Minister also had assured her that arrangements will be made I would like to know when this assurance was made by the Chief Minister to her. That is important because the High Court's judgement might have been delivered just a few hours before the incident But the request that she had made and the assurance that the Chief Minister had given were much before, when there was enough time to take precautionary measures to stop that mobilisation. That is number one. Secondly, we have no confidence absolutely in the State machinery of Rajasthan And it is quite well-known, and the incident is not just an incident. it is a matter of national dishonour. Therefore, I would like to know why the investigation of the late arrival of the police and the failure of the Administration to stop the *Chunri Mahotsav*, to stop the live-roasting of a wmoan and to stop some other things is not being done by a judicial inquiry And particularly I would like to know from her whether she, as a woman and in-charge of the Women portfolio, is satisfied in the way the Rajasthan Government had handled this incident which has brought dishonour to this country.

ठाकर जगतपाल सिह : आपने फिगर्स जितनी दी है उनमे चूकि रिपलैक्शन अपर कास्ट पर हो रहा है, इसलिए मैं चाहता हू कि जो सख्या आपने दी है, वे किस-किस कास्ट के है। मेरे ख्याल मे 8 या 9 हुई है बैकवर्ड मे और 7 या 8 हुई है अपर कास्ट मे।

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: We are not interested in caste. It is not a caste problem.

SHRIMATI MARGARET ALVA: Madam, let me clarify both. I am not going into any caste questions. My point is that it is true and I sand by the statement I made that I had spoken to the Chief Minister and sent these messages before the High Court judgment. I am not coming to the date. (*Interruptions*) It was before the High Court judgment.

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: You have spoken to him long before. There was enough time.

SHRIMATI MARGARET ALVA Secondly, I do agree with the hon. Member that we have broken up these figures of *Sati* incidents, and it is not any particular community or anybody. It has taken place among Brahmins, among the non-Brahmins, among even backward classes and so on. It is not any particular community to which the incidents have been limited. And I would certainly say, as I said earlier, and I am repeating it, I am not saying that the State Government did not do anything. Mr. Chidambaram has also said more could have been done and, if, perhaps, if more had been done, it could have been something else But today, as I said earlier, what we are concerned with is to see that this is not repeated again, and the Government of India and the Government of Rajasthan and, I am sure, all the State Governments are committed to see that there will never be another *Sati* incident in India. Thank you.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Now the statement by the Minister. (*Interruptions*)

श्री सत्य प्रकाश मालवीय श्रीमन्, मेरा भी एक सवाल था. . .

उपसभापति सब लोगों में अच्छी यूनैनिमिटी रही है, अच्छा वातावरण रहा है, मिनिस्टर साहिबा ने रिप्लाई दे दिया है जिसमें कोई डिफरेंस आफ ओपीनियन नहीं है। आप क्यों उसको फिर बार-बार उठा रहे हैं? मिनिस्टर साहिबा का रिप्लाई हो गया, इसके बाद कोई सवाल नहीं हो सकता। अब स्टेमेंट होगा. . . (व्यवधान)

THE DEPUTY CHAIRMAN: The Miniser of State for Agriculture will now make a statement.

STATEMENT BY MINISTER

Current Drought and Flood Situation in the country and the Relief Measures undertaken by the Government

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF AGRICULTURE AND COOPERATION IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI YOGENDRA MAKWANA): Madam,

SHRI JASWANT SINGH (Rajasthan): Madam, on a point of order.

SHRI VITHALRAO MADHAVRAO JADHAV (Maharashtra): Madam, on a point of order.

Madam, tomorrow there will be a short duration discussion on drought and flood situation in the country. Today we are having a discussion on Sri Lanka. It is only five minutes now when the discussion on Sri Lanka has to start. If this statement also is made tomorrow, that would be better. That is what I would say. *(Interruptions.)*

THE DEPUTY CHAIRMAN: The statement will be made today but the discussion will take place tomorrow.

SHRI JASWANT SINGH: Madam, I take objection. Madam, I take objection to the manner in which this statement has been brought about. It was decided in the last Business Advisory Committee meeting that a discussion by way of a Calling Attention on the drought and flood situation is listed and will take place on Thursday. If that is listed for tomorrow and, as the Chair has announced earlier this morning, an important short duration discussion on Sri Lanka is to commence at 3O' clock, I see no reason whatsoever why the Government should choose now, at five minutes to three, to come forward *suo motu* with a statement on the drought and flood situation in the country which we are anyway debating tomorrow. That is number one. Secondly, Madam, I take strong objection to your suggestion from the Chair that he should make the statement today, and we shall forego the right to ask him clarifications and we will discuss it tomorrow. No. We do not accept that.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTRY AFFAIRS (SHRI M. M JACOB): Madam,.

SHRI JASWANT SINGH: Will the Minister of Parliamentary Affairs please do me the courtesy of listening to me?

THE DEPUTY CHAIRMAN: Let him complete.

SHRI VITHALRAO MADHAVRAO JADHAV: Madam, when I raised the same question, you did not say anything. Now you are giving judgment on Mr. Jaswant Singh's point of order.

THE DEPUTY CHAIRMAN: I am just listening. I have not given any judgment. It will not go on record.

SHRI VITHALRAO MADHAVRAO JADHAV:*

*Not recorded.